

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

14 मार्च, 1988

खण्ड 1, अंक 1

अधिकृत विवरण

विशय सूची

सोमवार, 14 मार्च, 1988

पृष्ठ संख्या

राज्यपाल का अभिभाषण:—	
(सदन की मेज पर रखी गई प्रति)	(1)1
भाोक प्रस्ताव	(1)22
घोशणाएं:—	

(क) अध्यक्ष द्वारा:-	
(i) पैनल ऑफ चेयरमैन	(1)42
(ii) कमेटी ओन पैटी टन्ज	(1)43
(ख) सचिव द्वारा:-	
राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों सम्बन्धी	(43)
बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पे ट करना	(1)44
सदन की मेज पर रखे गए/पुनः रखे गए कागज पत्र	(1)47
वि ोशाधिकार समिति के प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना:-	
(i) श्री हजारगी लाल, पुलिस उपाधीधक, जींद के विरुद्ध	(1)49
(ii) श्री इन्द्र सिंह नैन तथा श्री भले राम, भूतपूर्व एम0एल0एज0 के विरुद्ध	(1)49

## हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 14 मार्च, 1988

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में 15.52 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्ठा) ने अध्यक्षता की।

### राज्यपाल का अभिभाषण

(सदन की मेज पर रखी गई प्रति)

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, हरियाणा विधान सभा के रूलज आफ प्रोसीजर एण्ड कंडक्ट ऑफ बिजनैस के रूल 18 के अनुसार मैंने यह सूचना देनी है कि कांस्टीच्यू इन के आर्टीकल 176(1) के अनुसार गवर्नर साहब ने आज 14 मार्च, 1988 को 2 बजे के बाद दोपहर हरियाणा विधान सभा के सामने ऐड्रेस देने की कृपा की है।

ऐड्रेस की एक कापी टेबल ऑफ दी हाउस पर रखी जाती है।

‘माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यगण,

मुझे हरियाणा विधान सभा के इस वर्ष के प्रथम अधिवे इन में आप सब का स्वागत करते हुए अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। मुझे हर्ष है कि राज्य की सेवा करने का मुझे

सुअवसर प्रदान किया गया है। मैं आप सब को हरियाणा की जनता को अपनी भाभ कामनाएं देता हूं।

2. आप इस सत्र में मुख्यतः वर्ष 1988-89 के बजट प्रस्तावों तथा अन्य विधायी मामालें पर वार्तालाप करने जा रहे हैं। विचार-विमर्श एवं वाद-विवाद के सम्बन्ध में इस सदन ने बहुत ऊंचे आदर्श स्थापित कर रखे हैं। इस सदन के विचार विमर्श के फलस्वरूप मेरी सरकार को समाज के सभी वर्गों के समूचे कल्याण हेतु नीति निर्धारण में सहायता मिलेगी। मुझे विश्वास है कि विचार-विमर्श रचनात्मक एवं मैत्रीपूर्ण ढंग से किया जायेगा।

इतने थोड़े समय में मेरी सरकार ने विकास की गति को तेज करने और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए अनेक अनूठे कदम उठाए हैं। वृद्धावस्था पेंशन तथा कमजोर वर्गों के लिए सहकारी तथा अन्य ऋणों की माफी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कदम हैं जो भविष्य में अन्य राज्यों का मार्गदर्शन करेंगे।

3. जब तक राज्य में पूरे तौर पर अमन और भ्रान्ति न हो, इसका तेजी से आर्थिक विकास सम्भव नहीं है। मेरी सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि राज्य की कानून और व्यवस्था की हालत में व्यापक सुधार हुआ है। अल्पसंख्यक वर्गों सहित सभी समुदाय एक दूसरे के साथ मिलकर भ्रान्ति से रह रहे हैं। पड़ोसी

राज्य तथा राज्य में हुई कुछ गम्भीर आतंकवादी दुर्घटनाओं के बावजूद भी ऐसा सम्भव हुआ है।

4. जिला हिसार में गांव दरियापुर के पास 7 जुलाई, 1987 को एक ऐसी दुर्घटना हुई थी जिसमें 34 निर्दोश बस यात्री आतंकवादियों द्वारा मारे गये थे और 21 घायल हुये थे। इस भीषण हत्याकांड का आवेगपूर्ण प्रतिरोध हुआ और सिरसा, फतेहाबाद व हिसार के समीपवर्ती नगरों में आगजनी तथा लूटमार की कुछ घटनाएं हुई। प्रशासन द्वारा की गई भीषण तथा प्रभावी कार्यवाही से कुछ ही घंटों में पूर्णतया सुव्यवस्था स्थापित कर दी गई। लूटमार की गई लाखों रूपयों की सम्पत्ति बरामद करके मालिकों को लौटा दी गई और दंगा फसाद एवं लूटमार करने वालों पर कानून के अन्तर्गत मामले दर्ज किये गये। राज्य सरकार ने दंगा पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान की। इससे अल्पसंख्यक समुदाय को पुनः आत्मबल एवं विश्वास प्राप्त हुआ। दरियापुर के इस जघन्य अपराध से सम्बद्ध दोशियों की भी भनाख्त कर ली गई तथा 16 अपराधियों को गिरफ्तार कर दिलाया गया। इनमें वे अपराधी भी शामिल हैं जिन पर या तो वास्तविक तौर पर इस हत्याकांड में भाग लेने का आरोप था या जिन्होंने आतंकवादियों को भारण दी थी।

आतंकवादियों द्वारा भड़काने वाली एक अन्य गम्भीर कार्यवाही की गई जब उन्होंने अम्बाला भाहर के विधायक श्री विप्रसाद पर घातक हमला किया। किन्तु सरकार द्वारा

सतर्कतापूर्वक की गई तुरन्त कार्यवाही से स्थिति पर काबू पा लिया गया।

5. पड़ोसी राज्य में चल रहे आतंकवाद के संदर्भ में मेरी सरकार ने समूची कानून और व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेकर दीर्घ एवं अल्पकालिक उपाय किये हैं। आतंकवाद-रोधी कक्ष (Anti-Terrorist Cell) निमित्त आधार पर स्थापित किया गया है तथा कमांडो बल बनाया जा रहा है। इस कक्ष के पुलिस जवानों को आधुनिक हथियार दिये जा रहे हैं। गुप्तचर रिपोर्टों को भीघ्र भेजने के लिए बेतार प्रणाली को पुनः व्यवस्थित किया गया है। पुलिस बल को नये वाहन तथा आधुनिक उपकरण प्रदान किया जा रहे हैं और अपराध-अभिलेख कम्प्यूटर द्वारा रखे जा रहे हैं। मेरी सरकार हरिजनों तथा महिलाओं के प्रति अत्याचार समाप्त करने तथा औद्योगिक क्षेत्र में भ्रान्ति स्थापित करने के लिए भी दृढ़ संकल्प है।

6. वर्तमान महत्वपूर्ण समस्याओं में व्यस्त रहते हुए भी हम उन भाहीदों को नहीं भूले, जो जनवरी, 1986 में 'रास्ता रोको अभियान' के समय पुलिस गोली के शिकार बन गये थे। यह अभियान हरियाणा की जनता की उचित मांगों को पूरा करवाने के लिये चलाया गया था। इनमें सीमा के पुनः निर्धारण के विषय में श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा 1970 में दिये गये निर्णय की क्रियान्विति तथा रावी ब्यास के पानी में उचित हिस्सा प्राप्त करना शामिल है। आन्दोलन में बलिदान होने वाले भाहीदों के नाम हैं,

जिला सिरसा के श्री कालू राम गोयल, हरसोल के श्री धर्म सिंह तथा लाठ ग्राम के श्री बलबीर सिंह। मेरी सरकार ने आसाखेड़ा से पन्नीवाला मोटा, लाठ से गोहाना सोनीपत और पियोदा से कैथल पाई सड़कों के नाम इन भाहीदों के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। पुलिस फायरिंग की इस दुर्घटना के सम्बन्ध में जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत न्यायिक जांच के आदे 1 भी दिये गये हैं तथा इस काम के लिए पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधी 1 की नियुक्ति भी कर दी गई है।

7. खरीफ 1987 के दौरान वर्षा के अभाव के कारण राज्य को भीषण सूखे की कठिन समस्या का सामना करना पड़ा। यह वर्तमान भाताब्दी के भीषण सूखों में से एक सूखा था और किसानों को केवल कृषि उत्पादन में 700 करोड़ रुपये की भारी हानि हुई। राज्य सरकार को सूखे से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए केवल 37.22 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता प्राप्त हुई जो सर्वथा अपर्याप्त थी। सूखे की स्थिति और भी भयानक होती गई क्योंकि नवम्बर और दिसम्बर, 1987 में रबी की बुवाई के समय भी वर्षा नहीं हुई। परिणामस्वरूप पानी तथा बिजली की अधिक सप्लाई के बावजूद रबी की फसल पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। नदियों और नहरों से जल निस्सारण अत्यधिक कम हो गया है, जिससे सिंचाई तथा पेय जल की उपलब्धता पहले से भी गम्भीर हो गई है। इससे रबी की फसल के उत्पादन पर बहुत बुरा

प्रभाव पड़ा और रबी फसल उत्पादन में भी लगभग 400 करोड़ रुपये की हानि होने की सम्भावना है। प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए 317 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता की मांग करते हुए अनुपूरक ज्ञापन भारत सरकार को भेज दिया गया है।

इस अप्रत्याशित स्थिति का सामना युद्ध स्तर पर राहत कार्यों को बड़े पैमाने पर शुरू करके किया गया था। परिवहन प्रभारों को वहन करने के अतिरिक्त 40 रुपये प्रति क्विंटल तक नकद अनुदान देकर 50 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर किसानों को पशु चारा सप्लाई किया जा रहा है। ग्रामीण और भाहरी क्षेत्रों में गोशालाओं को भी रियायती दरों पर चारा सप्लाई किया जा रहा है। बहुत सारे पशु राजस्थान से आ गए हैं और कुछ गरीब लोगों ने निराशाजनक स्थिति के कारण अपने पशुओं को छोड़ दिया है। उन्हें मुफ्त चारा देने के लिए कैम्पों का आयोजन किया गया है और इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त राशि का उपबन्ध किया गया है।

लगातार सूखे के कारण, गांव के जोहड़ सूख गये हैं। सिंचाई विभाग द्वारा लगभग 3000 जोहड़ों को नहरों का पानी सप्लाई किया गया है। कई स्थानों पर जोहड़ नहरों से जुड़े हुए नहीं थे, इसलिए जोहड़ों में पानी ले जाने के लिए योजक नाले बनाये गये हैं। बहुत से स्थानों पर जोहड़ नहरों से ऊंचे स्तर पर स्थित थे, इसलिए जोहड़ों को भरने के लिए पम्पिंग सैटों का



प्रयोग किया गया है। इस कार्य के लिए 32.50 लाख रूपय की राशि दी गई है।

8. तकावी कर्जे तथा आबियाना की वसूली निलम्बित कर दी गई है तथा सहकारी अल्पकालिक कर्जों को मध्यावधि कर्जों में परिवर्तित करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं। 6447 सस्ती दुकानों के नेटवर्क माध्यम से अनिवार्य वस्तुओं का उचित वितरण सुनिश्चित करके सर्वाजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाया गया है। बच्चों तथा दूध पिलाने वाली व गर्भवती माताओं को अनुपूरक पोशाहार देने के लिए 2 करोड़ रूपये की राशि निर्धारित की गई है। सभी एकीकृत बाल विकास सेवा खण्ड अनुपूरक पोशाहार कार्यक्रम के अधीन पहले ही शामिल कर लिये गये हैं और इस प्रकार यह राशि सूखे से प्रभावित 39 गैर एकीकृत बाल विकास सेवा खण्डों में खर्च की जा रही है।

सूखे से अत्यधिक प्रभावित होने वाले लोग भूमिहीन श्रमिक और निर्धन मजदूर होते हैं। मेरी सरकार इस समस्या के प्रति जागरूक है और इस उद्देश्य से बड़े पैमाने पर मजदूरी रोजगार कार्यक्रम आरम्भ किए गये हैं। सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में रोजगार जुटाने के लिए 15 करोड़ रूपये की अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया है। यह राशि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी प्रोग्राम के तहत चल रहे कार्यक्रमों के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान उपबन्धित 16 करोड़ रूपये की राशि की अतिरिक्त है। इस समूचे 31 करोड़

रूपये में से 25 करोड़ रूपये श्रम सघन निर्माण कार्यों, जैसे गांवों के तालाबों की खुदाई तथा मुरम्मत, योजक तथा वृताकार सड़कों के निर्माण, जल मार्गों की खुदाई, गांव की गलियों को पक्का करने, प्राथमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण और भू तथा जल संरक्षण पर खर्च किए जा रहे हैं। इन निर्माण कार्यों को आरम्भ करके अभी तक 56 लाख से भी अधिक श्रम-दिन जुटाये जा चुके हैं और 2000 गांवों में जहां सूखा राहत कार्य चल रहे हैं, 40 हजार से भी अधिक पुरुष तथा महिलायें प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं।

9. माननीय सदस्यों, मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि राज्य के समृद्ध व्यक्तियों ने सूखा स्थिति का सामना करने के लिए मेरी सरकार द्वारा की गई अपील को उदारतापूर्वक स्वीकार किया है। अब तक 3.80 करोड़ रूपये की राशि का अंशदान मुख्यमंत्री राहत कोश में प्राप्त हुआ है। अपनेपन तथा सामाजिक सहयोग की भावना जागृत करने के लिए एक स्कीम बनाई गई है ताकि विभिन्न विकास कार्य शुरू करने के लिए स्वैच्छिक अंशदान प्राप्त करने हेतु लोगों को प्रेरित किया जा सके। ऐसे प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए इस कोश में से मैचिंग अनुदान किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 2 करोड़ रूपये से अधिक राशि की स्कीम में बनाई जा चुकी हैं। यह स्कीम सरकार की वर्तमान मैचिंग अनुदान की स्कीम के अतिरिक्त है। इस स्कीम के लिए गत वर्ष 2.27 करोड़ रूपये का उपबन्ध

किया गया था जबकि चालू वर्ष में इसे बढ़ा कर 3.94 करोड़ रूपये कर दिया गया है।

10. आर्थिक मोर्चे पर राज्य सरकार का जोर इस बात पर रहा है कि किसानों को दिये जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहनों और उन्नत कृषि प्रणाली में विवेक मिला तालमेल कर के, सिंचाई और बिजली की क्षमता बढ़ा कर कृषि के मूल ढांचे को सुदृढ़ बनाया जाए। वर्तमान कीमतों के अनुसार राज्य की आय 1985-86 में 5494 करोड़ रूपये से बढ़कर 1986-87 में 5897 करोड़ रूपये हो गई अर्थात् इसमें 7.3 प्रति शत की वृद्धि हुई है। वर्ष 1970-71 को मूल आधार मान कर स्थिर कीमतों की तुलना में इस अवधि के दौरान राज्य की आय 1802 करोड़ रूपये से बढ़कर 1852 करोड़ रूपये तक हो गई, जिससे 2.8 प्रति शत की वृद्धि का पता चलता है। 1988-89 की वार्षिक योजना के लिए 600 करोड़ रूपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है जो चालू वर्ष के संशोधित परिव्यय से लगभग 40 प्रति शत अधिक है। इसमें सतलुत यमुना योजक नहर के लिए 34.50 करोड़ रूपये की राशि भी शामिल है, जो भारत सरकार द्वारा दी जाएगी। 600 करोड़ रूपये के इस कुल परिव्यय में से 285.50 करोड़ रूपये सिंचाई तथा बिजली क्षेत्रों के लिए, 67.44 करोड़ रूपये कृषि तथा ग्रामीण विकास और सम्बद्ध कार्यक्रमों के लिए, 33.96 करोड़ रूपये परिवहन के लिए, 10.50 करोड़ रूपये उद्योग के लिए तथा 190.50 करोड़ रूपये स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला तथा युवा कल्याण और

अनुसूचित जातियों तथा पिछड़ी श्रेणियों के कल्याण जैसे सामाजिक सेवाओं के लिए आबंटित किये गये हैं।

11. इस प्रकार सिंचाई एवं बिजली क्षेत्र के लिए योजनागत परिव्यय 47.5 प्रति ात रखा गया है। हमारे लिये यह चिन्ता का विषय है कि सतलुज यमुना योजक नहर परियोजना के पंजाब भाग को मुकम्मल करने का निर्धारित समय बार बार बढ़ाया जा रहा है। जब तक यह परियोजना पूरी नहीं हो जाती राज्य सरकार के लिए परे ानी और चिन्ता बनी रहेगी। हरियाणा रावी ब्यास जल के अपने पूरे हिस्से का प्रयोग करने की स्थिति में नहीं होगा और राज्य में जलरहित क्षेत्रों के लाभ के लिए पहले से निर्मित सिंचाई संरचनाएं अधिकां ातः अप्रयुक्त रह जायेंगी। अतः इस परियोजना को भीघ्रता से पूरा करने के लिए मेरी सरकार तत्परता एवं गम्भीरता से ध्यान दे रही है। इसकी प्रगति पर ध्यानपूर्वक नजर रखी जा रही है और केन्द्र तथा पंजाब सरकार के साथ, विभिन्न स्तरों पर, निरन्तर तालमेल रखा जा रहा है।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान सिंचाई क्षेत्र में हुई प्रगति ने राज्य कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि प्राप्त करने में महत्वपूर्ण एवं निर्णायक भूमिका निभाई है। अतिरिक्त सिंचाई क्षमता जुटाने और पहले से निर्मित क्षमता और इसके उपयोग में असंतुलन को दूर करने के लिए चालू स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु उपबन्ध और बढ़ा दिया गया है। इस वर्ष के दौरान नहर प्रणाली का 140 लाख वर्ग फुट क्षेत्र पक्का कर दिया गया है जिससे कुल

पक्का क्षेत्र बढ़ कर 4510 लाख वर्ग फुट हो गया है। इसके अतिरिक्त, 835 किलोमीटर जलमार्गों को भी पक्का कर दिया गया है। इससे कुल 17000 किलोमीटर जलमार्ग पक्के हो गए हैं। इस प्रकार संरक्षित पानी से हम पहले से निर्मित सिंचाई परियोजनाओं का और बेहतर ढंग से प्रयोग कर सकेंगे।

12. वर्षा के दौरान जारी भीषण सूखे की स्थिति से राज्य की नहरों में सिंचाई जल की उपलब्धता कम हो गई। यमुना नदी में जल प्रवाह तेजी से कम हो गया। परन्तु यदि समय पर सम्पूर्ण जल उपलब्धता की समान और समेकित व्यवस्था न की जाती तो भाखड़ा नहर प्रणाली से पश्चिमी यमुना नहर, जिससे इस क्षेत्र की सिंचाई और पीने के पानी की जरूरतों को पूरा किया जाता है, में अधिक पानी पहुंचाना सम्भव न हो सकता। भीषण सूखे के दौरान पेयजल की जरूरतों को पूरा करने के लिए लगभग 3000 गांवों के जोहड़ों और 400 जन-स्वास्थ्य जलाशयों को भरने हेतु प्रायः प्रतिदिन 500 क्यूबिक अतिरिक्त पानी सप्लाई किया गया है।

भीषण सूखे की स्थिति के कारण नहरों के अनधिकृत कटाव को रोकने के लिए सख्त कार्यवाही अपेक्षित थी ताकि कानून का पालन करने वाले नागरिक सिंचाई जल का अपना हिस्सा प्राप्त करने से वंचित न रह जायें। तदनुसार, मेरी सरकार ने हरियाणा नहर तथा जल निकास अधिनियम, 1974 में उपयुक्त संशोधन कर दिया है। इस संशोधन के तहत ऐसे अनाधिकृत

कट करने वाले व्यक्ति को उसकी अगली दो बारियों में सिंचाई जल की सप्लाई नहीं की जाएगी। आता है कि अधिनियम में किए गए इस संशोधन से बुरे तत्वों द्वारा किए जाने वाले कदाचार को प्रभावशाली रूप से रोका जा सकेगा।

13. बिजली आर्थिक प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है और इसके लिए आगामी वर्ष की योजना में 183 करोड़ रूपए की राशि का प्रावधान किया गया है। यह देखते हुए कि उपलब्ध बिजली की कमी से राज्य में कृषि और औद्योगिक प्रगति में किस प्रकार रुकावट आ रही है, मेरी सरकार इस समस्या के समाधान के प्रति सतर्क है और इस क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दे रही हैं। पानी और फरीदाबाद के वर्तमान ताप बिजली घरों के कार्यचालन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। परिणामस्वरूप औसतन संयन्त्र भार गत वर्ष में 33 प्रतिशत से बढ़ कर चालू वर्ष में जनवरी, 1988 तक दोनों संयन्त्रों ने मिलकर 18521 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन किया। इस प्रकार बिजली उत्पादन में गत वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले में 49 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि रिकार्ड की गई है। इसके साथ-साथ, वर्तमान स्थापित क्षमता को बढ़ाने के लिए भी प्रयत्न किए जा रहे हैं। वर्ष 1988-86 के दौरान 210 मैगावाट पानीपत ताप बिजली परियोजना चरण III और पश्चिमी यमुना नहर पन-बिजली परियोजना का 16 मैगावाट बिजली घर "ग" भी भुरू हो जाने की सम्भावना है। यह निर्णय लिया गया है कि 840 मैगावाट की क्षमता वाली यमुनानगर

ताप-बिजली परियोजना, जिसका अधिक विस्तार भी सम्भव हो, के निर्माण का काम भारत सरकार के उपक्रम राष्ट्रीय ताप बिजली निगम को सौंप दिया जाए। इस व्यवस्था सम्बंधी भातर्ी तथा निबन्धनों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

14. पर्याप्त बिजली पारेण एवं वितरण प्रणाली के बिना अधिक बिजली उत्पादन अपने आप में काफी नहीं, क्योंकि इसके बिना लाइनों में बिजली की बढ़ रही हानि के अतिरिक्त, उत्पादित बिजली का उपयोग करने में भी कठिनाई होगी। अतः पारेण और वितरण प्रणाली को भी सुदृढ़ करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। चालू वर्ष के दौरान रिवाड़ी में 220 के0वी0 उप-स्टे 1न, 132 के0वी0 के दो उप-स्टे 1न पुन्डरी तथा डींग में, 66 के0वी0 के तीन उप-स्टे 1न धोज, फरीदाबाद और साहा में तथा 33 के0वी0 के सात उप-स्टे 1न अन्य विभिन्न स्थानों पर चालू किए गए हैं। 30 से अधिक वर्तमान उप-स्टे 1नों की क्षमता बढ़ा दी गई है। 220 के0वी0 बल्लभगढ़-पलवल और भाभा-पंचकूला ट्रांसमि 1न लाईन को भीघ्न पूरा करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं ताकि राज्य वर्ष 16988-89 के दौरान रिहन्द में केन्द्रीय क्षेत्र की सुपर ताप बिजली परियोजना और हिमाचल सरकार की भाभा परियोजना से प्रत्याि 1त उपलब्ध बिजली का उपयोग कर सके।

कृशि उत्पादन पर अप्रत्याि 1त सूखों के दुःप्रभावों को दूर करने तथा 10 जुलाई, 1987 के विधान सभा सत्र में दिए गए

आ वासनों को पूरा करने के लिए मेरी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि ग्रामीण क्षेत्र को बिजली के आवंटन में प्राथमिकता दी जाए। प्रति गीतता के अनुसार राज्य में ग्रामीण क्षेत्र के लिए जनवरी, 1988 तक बिजली की कुल खपत 55 प्रति गीत थी। वस्तुतः ग्रामीण क्षेत्र में चालू वर्ष के दौरान जनवरी, 1988 तक बिजली की खपत 27556 लाख यूनिट थी, जिससे गत वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में इसी अवधि में बिजली की खपत के मुकाबले में 33 प्रति गीत की महत्वपूर्ण वृद्धि का पता चलता है।

15. हरियाणा की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है और राज्य सरकार कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए अत्यधिक महत्व देती है। वर्ष 1987-88 के लिए खाद्यान्न के उत्पादन का लक्ष्य 81.80 लाख टन निर्धारित किया गया था जिसमें खरीफ का उत्पादन 23.30 लाख टन और रबी का 58.50 लाख टन शामिल है। दुभाग्यवश राज्य में अप्रत्याशित सूखे की स्थिति के कारण सभी अनाज और नकदी फसलों को भारी क्षति हुई है। परिणामस्वरूप, कृषि उत्पादन में अत्यधिक कमी हुई है। इसके बावजूद फसलों को बचाने की ओर दिए गए विशेष ध्यान तथा सहायता के कारण राज्य में 58.83 लाख टन अनाज का उत्पादन होने की आशा है। कपास उत्पादन में राज्य में 8.40 लाख गांठों के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले में 6.40 लाख गांठों का उत्पादन हुआ है। इसी प्रकार से गन्ना उत्पादन में 7.00 लाख टन के लक्ष्य के मुकाबले में गन्ने की फसल 4.22 लाख टन हुई है। सूखे की



स्थिति के बावजूद 22 फरवरी, 1988 तक चीनी मिलों ने गत वर्ष के 157 लाख क्विंटल के मुकाबले 159 लाख क्विंटल गनने का पीड़न किया है। इसी प्रकार, साढ़े तीन लाख टन से भी अधिक तिलहन होने की आशा है जो राज्य का अभी तक का उच्चतम रिकार्ड होगा।

सफलतापूर्वक खेती करने के लिए मेरी सरकार ने किसानों को रबी की फसल की बिजाई के लिए विभिन्न राहत सुविधाएं दी हैं। बीजों, उर्वरकों, कीटनाशन दवाइयों और चारा बीज मिनी किटों की लागत पर आर्थिक अनुदान देने के लिए 787.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है। राज्य ने 1.28 लाख क्विंटल बीजों के योजनागत खपत लक्ष्य की तुलना में 1.30 लाख क्विंटल रबी की फसल के विभिन्न प्रमाणित बीजों का वितरण किया है। गत रबी के मौसम के दौरान उर्वरक की वास्तविक खपत 2.71 लाख टन हुई थी, जबकि चालू वर्ष के लिए इसकी खपत का लक्ष्य 2.89 लाख टन निर्धारित किया गया है।

बरानी क्षेत्रों में एकीकृत आधार पर भू-संरक्षण करने पर अधिक बल दिया जा रहा है। राज्य के सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में फुव्वारा सैटों के माध्यम से सिंचाई को बढ़ावा दिया जा रहा है और चालू वर्ष के दौरान 4000 फुव्वारा सैट लगाए जा रहे हैं। लाभानुभोगियों की श्रेणियों के आधार पर उन्हें 25 से 40 प्रतिशत तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाते हुए 2200 बायोगैस संयंत्र लगाए जा रहे हैं। विपणन के आधारात्मक ढांचे को भी

सुदृढ़ किया जा रहा है। राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने 3.57 लाख मीटरी टन की क्षमता वाले भण्डारों का निर्माण कर लिया है और 29700 मीटरी टन की क्षमता वाले गोदाम निर्माणाधानी हैं।

16. मेरी सरकार ने किसानों और समाज के कमजोर वर्गों को कर्जों के अभावे से राहत देने के लिए कर्जों को माफ करने का क्रान्तिकारी कदम उठाया है। 23 मार्च, 1986 को अतिदेय इतर प्राथमिक सहकारी ऋण एवं सेवा समितियों के अल्पकालिक और मध्यकालिक कर्जों पर प्रत्येक कर्जदार को 10,000 रूपए तक की राहत दी गई है, बशर्त कि वह अपना लेखा चुकता कर देता है। अन्य कर्जदारों, जिन्होंने 30 मार्च, 1987 को अभी कर्जों की बकाया राशि देनी है, को एक वर्ष तक की अवधि के लिए ब्याज की राहत दी गई है। प्राथमिक भूमि विकास बैंकों द्वारा ट्रैक्टरों के लिए दिये गए दीर्घकालिक कर्ज, जो 23 मार्च, 1986 को बकाया थे, के सम्बन्ध में प्रत्येक कर्जदार को 10,000 रूपए तक राहत दी गई है। सहकारी क्षेत्र में दी गई उपरोक्त राहतों से 7.70 लाख व्यक्तियों को लाभ पहुंचेगा। समाज के समृद्ध वर्ग, जिनमें उद्योगपति भी शामिल हैं, इस प्रकार की राहत प्राप्त करते रहे हैं, परन्तु हरियाणा देश का प्रथम राज्य है, जिसने किसानों, शिल्पकारों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को राहत देने का ऐतिहासिक कदम उठाया है।

17. वर्ष 1986-87 के दौरान प्राथमिक सहकारी ऋण एवं सेवा समितियों ने 172.16 करोड़ रूपए के कर्ज दिए। चालू

वर्ष के लिए 239 करोड़ रूपए के कर्जे दिए। चालू वर्ष के लिए 239 करोड़ रूपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हरियाणा राज्य सहकारी कृषि भूमि विकास बैंक ने वर्ष 1986-87 के दौरान 38.64 करोड़ रूपए का कर्ज दिया और चालू बैंक के लिए 70 करोड़ रूपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हरियाणा राज्य सहकारी सप्लाई एवं विपणन संघ (हैफेड) ने वर्ष 1986-87 के दौरान 166.50 करोड़ रूपए के कृषि उत्पादनों का क्रय-विक्रय किया और चालू वर्ष के लिए 175 करोड़ रूपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हैफेड और प्राथमिक विपणन सहकारी समितियों ने वर्ष 1986-87 के दौरान 55.07 करोड़ रूपए के उर्वरकों का वितरण किया और चालू वर्ष के लिए 62.50 करोड़ रूपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जाटूसाना में एक जो-माल्ट संयन्त्र भीघ्र ही चालू किया जा रहा है। दुग्ध सहकारिताओं को सुदृढ़ करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हरियाणा डेरी विकास संघ के लिए 466.26 लाख रूपए की राशि का प्रस्ताव किया गया है। छठी योजना के दौरान तीन नई सहकारी चीनी मिलों की स्थापना की गई थी।

वर्तमान गन्ने की पिडत्राई के मौसम में सहकारी क्षेत्र की सभी सात चीनी मिलें बहुत अच्छे परिणाम दिखा रही हैं। 28 फरवरी, 1988 तक इन मिलों ने एक करोड़ क्विंटल से अधिक गन्ने की पिड़ाई कर दी है। कई मिलें अपनी क्षमता का 100 से 110 प्रतिशत तक काम कर रही हैं। सूखे के कारण फसल भले

ही अच्छी न हुई हो, परन्तु मिलों ने बहुत अच्छा काम कर दिखाया हैं। सरकार ने किसानों को गन्ने की 32 रूपये प्रति क्विंटल कीमत दी है जो कि देश में सबसे अधिक है।

18. पंजाब उपालन के वर्तमान मूल ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए कई कदम उठाये जा रहे हैं। वर्ष 1988-89 के दौरान 40 नई पंजाब चिकित्सा डिस्पेंसरियां खोली जाएंगी तथा 30 विद्यमान डिस्पेंसरियों का दर्जा बढ़ा कर पंजाब अस्पताल बना दिए जाएंगे। पंजाब बीमारियों के नियन्त्रण के लिए पुरजोर उपाय किए जायेंगे। राज्य पंजाब वैक्सीन संस्थान तथा निदान सुविधाओं को सुदृढ़ किया जायेगा। पंजाबियों के रोगों की जांच करने तथा उसके सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट परामर्श देने के लिए राज्य में वर्ष 1988-89 के दौरान एक पॉलिक्लिनिक की स्थापना की जाएगी।

19. मेरी सरकार राज्य में मछली उत्पादन को और अधिक प्रोत्साहित कर रही है। राज्य में विद्यमान छः एजेन्सियों के अतिरिक्त, सिरसा और हिसार में दो नयी मछली पालन विकास एजेन्सियों की स्थापना की जाएगी। ये एजेन्सियां इन जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए रोजगार के अवसर जुटायेगी। चालू वर्ष के दौरान मत्स्य पालन के विकास पर 165 लाख रूपये खर्च किए जाएंगे। सूखे के प्रतिकूल प्रभावों के बावजूद आशा की जाती है कि 18,000 मीटरी टन मछली का उत्पादन तथा 400 लाख अच्छी किस्म के मछली बीज का उत्पादन किया जाएगा, जिससे किसानों को अतिरिक्त आय होगी।

20. बुनियादी रूप से हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है जिसका 82 प्रतिशत क्षेत्र कृषि अधीन है। वन अधीन क्षेत्र में और वृद्धि करने के लिए विभिन्न योजनाओं पर 16.30 करोड़ रूपए खर्च किए जायेंगे तथा 18.320 हैक्टेयर क्षेत्र में वन लगाये जायेंगे। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में जन सहयोग को सुनिश्चित किया गया है। राज्य की आय में वृद्धि करने हेतु जंगल काटने का कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस निर्णय का श्रेय मेरी सरकार को जाता है कि किसानों के खेतों के साथ लगते हुए वृक्षों की पहली पंक्ति से होने वाली आय का 50 प्रतिशत सम्बद्ध किसानों को दिया जायेगा। इस प्रकार छाया से प्रभावित उनकी फसल के लिए उन्हें पर्याप्त मुआवजा मिल जाएगा।

21. राज्य में औद्योगिक विकास की गति भी बहुत प्रभावशाली रही है। आधारात्मक सुविधा, उदारतापूर्वक प्रोत्साहन और सुखद श्रम सम्बन्धों को सुनिश्चित करके यह सब सम्भव हुआ है। राज्य में बहुत से बड़े तथा दरमियाने दर्जे के यूनिट स्थापित किए गए हैं और कई अन्य की स्थापना की जा रही है। हाल ही में भारत सरकार ने गुड़गांव में 100 करोड़ रूपये की लागत से एक वैक्सीन संयंत्र लगाने का निर्णय लिया है। यह अपनी किस्म का देश में पहला यूनिट है और इसको फ्रांस के सहयोग से लगाया जा रहा है।

राज्य में लघु औद्योगिक क्षेत्र का विकास भी उत्साहजनक रहा है। लघु औद्योगिक यूनिटों की संख्या 77,700

तक पहुंच गई है। केवल चालू वर्ष के दौरान अब तक ऐसे 3600 यूनिट स्थापित किए गए हैं। ग्रामीण औद्योगीकरण स्कीम के अधीन 2000 यूनिटों की स्थापना की गई है। इससे 7500 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।

राज्य औद्योगिक यूनिटों को उदारतापूर्वक प्रोत्साहन दे रहा है। इन प्रोत्साहनों में, पिछड़े क्षेत्रों में लगे यूनिटों को उनके स्थायी पूंजीगत निवेश का 10 से 15 प्रतिशत तक का पूंजीगत निवेश आर्थिक सहायता के रूप में देना भी शामिल है। अन्य महत्वपूर्ण प्रोत्साहनों में बिक्री कर स्थगन के लाभ, प्रदत्त केन्द्रीय बिक्री कर के बदले ब्याज रहित कर्जे, बिजली भुल्क से छूट, कच्चे माल और भवन सामग्री पर चुंगीकर के छूट और जनरेटिंग सैटों पर आर्थिक सहायता देना शामिल है।

22. राज्य ने इलैक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में भी पर्याप्त प्रगति की है। जिला गुड़गांव के उद्योग विहार में 500 इलैक्ट्रानिक यूनिटों वाला एक केन्द्र बन रहा है। हरियाणा राज्य इलैक्ट्रानिक विकास निगम (हरट्रान) राज्य में इलैक्ट्रानिक उद्योग के विकास के कार्य की देखभाल करने वाली एक नोडल एजेंसी है। अभी तक इसने लगभग 50 नये इलैक्ट्रानिक यंत्र विकसित किए हैं जिन्हें उपकरणों की नियन्त्रण प्रक्रिया और अन्य प्रदत्त साधन प्रणालियों में प्रयोग किया जाता है।

23. मेरी सरकार विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास को अत्यधिक महत्व दे रही है। हरियाणा कृषि वि विद्यालय, हिसार के परिसर में 1.5 करोड़ रूपये की लागत से एक रिमोट सेन्सिंग एप्लीके टन सेन्टर की स्थापना की जा रही है। यह केन्द्र कृषि, भूमि, जल स्रोत, पर्यावरण एवं वानिकी के विभिन्न प्रयोगों के लिए नवीनतम दूरस्थ संवेदन गील तकनीक की भुरूआत करेगा। राज्य ने 85 लाख रूपय की लागत से और ऊर्जा को उपयोग में लाने के लिए 41 नई प्रणालियां विकसित की हैं। जिला गुड़गांव में ग्वाल पहाड़ी 25 करोड़ रूपये की लागत से एक और ऊर्जा केन्द्र की स्थापना की जा रही है। 50-50 किलोवाट की क्षमता वाले दो सौर ताप विद्युत संयन्त्र ग्वाल पहाड़ी मे सौर ऊर्जा केन्द्र में लगाये जा रहे हैं। 5000 लिटर की क्षमता वाला एक सौर ऊर्जा दुग्ध अव गीतन केन्द्र बिलासपुर में स्थापित किया जा रहा है।

24. मेरी सरकार ने अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण और समाज के अन्य दुर्बल समुदायों की देखभाल एवं सहायता को उच्चतम प्राथमिकता दी है। हरियाणा को एक कल्याण राज्य बनाने के लिए हाल ही में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। समाज कल्याण कार्यकलापों पर वर्ष 1986-87 में 14.37 करोड़ रूपये खर्च किए गये जिसे वर्ष 1987-88 में बढ़ाकर 51.85 करोड़ रूपये किया गया है जोकि लगभग चार गुणा हैं।

आगामी वित्त वर्ष के लिए 94.06 करोड़ रुपये के परिव्यय का उपबन्ध किया गया है, जिससे इसका महत्व प्रदर्शित होता है।

25. मेरी सरकार ने अनुसूचित जातियों पिछड़े वर्गों तथा विमुक्त जातियों के कल्याण के लिए अनेक स्कीमों क्रियान्वित की हैं। वर्ष 1988-89 के दौरान समाज के इन दुर्बल वर्गों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनागत, गैर-योजनागत तथा विशेष संघटक योजना स्कीमों के अन्तर्गत 10.24 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है। भौक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को मैट्रिक पूर्व तथा मैट्रिकोत्तर स्तरों पर छात्रवृत्तियां देने, शिक्षण भुल्क की प्रतिपूर्ति करने तथा वि विविद्यालय एवं बोर्ड परीक्षा फीसों की प्रतिपूर्ति करने, मिडल तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पुस्तक अनुदान देने तथा विशेष अनु शिक्षण आदि अनेक प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। इन स्कीमों के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 के दौरान 474.57 लाख रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव है जिससे लगभग 2,77,980 छात्रों को लाभ होगा। उनके जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए वर्ष 1987-88 के दौरान 56 लाख रुपये मकानों के निर्माण पर खर्च किये गये। वर्ष 1987-88 के दौरान हरिजन बस्तियों का पर्यावरण सुधार स्कीम के अधीन 100 लाख रुपये खर्च किये जा रहे हैं और अगले वर्ष के लिए इस प्रयोजनार्थ इतनी ही राशि निर्धारित की गई है। हरियाणा हरिजन कल्याण निगम तथा हरियाणा पिछड़े वर्ग कल्याण निगम विभिन्न काम-धन्धों तथा व्यवसायों के लिए अनुसूचित



जातियों तथा पिछड़े वर्गों को वित्तीय सहायता देकर उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। वर्ष 1987-88 के दौरान हरियाणा हरिजन कल्याण निगम द्वारा 11784 अनुसूचित जातियों के सदस्यों को तथा हरियाणा पिछड़े वर्ग कल्याण निगम द्वारा 921 व्यक्तियों को सहायता प्रदान की गई।

26. हमारे समाज में वृद्ध लोगों को परम्परागत रूप से मान सम्मान दिया जाता है। तथापि, संयुक्त परिवार प्रणाली के समाप्त होने और आर्थिक दबाव के कारण परिवार में उनका सम्मान कुछ घट गया है समाज में इन वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान तथा गरिमा को बहान करने के लिए सरकार ने उदार वृद्धावस्था पेंशन स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के अंतर्गत 65 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति, यदि वह आय कर दाता नहीं है और कोई अन्य पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा है, 100 रुपये प्रतिमास की दर से वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने का हकदार है। इस स्कीम के अंतर्गत पति-पत्नी दोनों अलग-अलग पेंशन प्राप्त करने के हकदार हैं। इस स्कीम के अंतर्गत लगभग 6.50 लाख व्यक्ति लाभ उठा रहे हैं। देश में हरियाणा ही एक ऐसा राज्य है जिसने अपने वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसी उदार और व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का शुभारम्भ किया है। वृद्धावस्था पेंशन की दर भी देश में सबसे अधिक है।

बच्चे हमारा भविष्य हैं। मेरी सरकार यह सुनिश्चित करने की अत्यधिक इच्छुक है कि बच्चों को उनके पूर्ण भौतिक,

मानसिक तथा भावात्मक विकास हेतु समूची आव यक मूल सेवाएं प्रदान की जायें। इस उद्दे य हेतु वर्ष 1988-89 में राज्य के प्रत्येक गांव में एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम भुरु किया जाएगा। यह कार्यक्रम व्यापक सामूहिक सेवाएं प्रदान करता है जिसमें गांवों में पूरक पोशण, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच और पराम र्ति, चिकित्सा सेवाएं, स्वास्थ्य और पोशण ििक्षा और 6 वर्ष तक के बच्चों के लाभ के लिए पूर्व-स्कूल ििक्षा तथा गांवों में गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताएं भामिल हैं। राज्य के 6731 गांवों में 10,000 से अधिक आंगनवाड़ियां खोली जाएंगी। इससे बाल मृत्यु और कुपोशण की घटनाओं में अत्यधिक कमी होगी और इससे हमारे बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य तथा पोशण स्तर में सुधार होगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1988-89 में लगभग 9 लाख बच्चों तथा माताओं को लाभ होगा।

27. मेरी सरकार द्वारा गरीबी हटाओ कार्यक्रम पर वि ेश जोर दिया गया है। छोटे तथा सीमान्त किसानों के परिवारों, कृषि और गैर कृषि श्रमिकों, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले िल्पकारों और दस्तकारों को एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई0आर0डी0पी0) के अन्तर्गत सहायता दी जा रही है ताकि वे आय वाले काम भुरु कर सकें और गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सकें। छोटे किसानों को 25 प्रति ात तथा अन्य वर्गों को 33 प्रति ा आर्थिक सहायता दी जाती है। बैंकों से ऋण भी रियायती दर पर दिया जाता है। चालू वित्त वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के

अधीन लगभग 50,000 परिवारों को सहायात देने का प्रस्ताव है। भारु में, इस प्रयोजनार्थ 6.73 करोड़ रूपये की राशि का अनुदान के रूप में उपबन्ध किया गया था। अप्रत्याशित सूखे से अत्यधिक प्रभावित गरीब लोगों को दयनीय स्थिति के दृष्टिगत 3 करोड़ रूपए का अतिरिक्त आबंटन किया गया है। गरीब से गरीब लोगों की सहायता करते समय भी अनुसूचित जाति के परिवारों तथा महिलाओं की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास (डी0डब्ल्यू0सी0आर0ए0) के लिए सिरसा, महेन्द्रगढ़ और सोनीपत जिलों में विशेष कार्यक्रम भारु किये गए हैं।

28. रोजगार विभाग के रिक्ति रजिस्टर में रोजगार हेतु आवेदकों की अत्यधिक संख्या को ध्यान में रखते हुए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार विभाग के समस्त रिकार्ड को कम्प्यूटर द्वारा रखने की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। सर्वप्रथम मण्डलीय रोजगार केन्द्र, अम्बाला के लिए कम्प्यूटर की व्यवस्था की जा रही है और वर्ष 1988-89 के दौरान इस प्रयोजनार्थ 3 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया। मूल्य सूचकांक को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक और कृषि श्रमिकों की मजदूरी संरचना का पुनरीक्षण किया गया है। अकुल कामगार की न्यूनतम मजदूरी 19.42 रूपये प्रतिदिन और कृषि श्रमिक की 20.42 रूपये प्रतिदिन निर्धारित की है।

29. मेरी सरकार प्राइमरी से वि विद्यालय स्तर पर शिक्षा सुविधाओं के विस्तार तथा सुधार के लिए भरसक प्रयत्न कर रही है। प्राथमिक स्तर पर स्कूल जाने वाले बच्चों के प्रवेश की संख्या गत वर्ष से लगभग एक लाख बढ़ गयी है तथा मुफ्त लेखन-सामग्री की सप्लाई और उपस्थिति पुरस्कार जैसे विभिन्न प्रोत्साहनों के कारण वर्ष 1987-88 के दौरान यह संख्या बढ़ कर 18 लाख हो गई है। इस कार्य के लिए वर्ष 1988-89 में 323.63 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जातियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों से सम्बन्धित लड़कों तथा लड़कियों के स्कूल में दाखिले पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस योजना अवधि के दौरान, केवल लड़कियों के लिए ही 200 प्राथमिक स्कूल खोले जा रहे हैं। वर्ष 1988-89 में लड़कियों के लिए ही ऐसे और 200 स्कूल खोलने का उपबन्ध किया गया है।

30. वर्ष 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत, आपरे इन ब्लैक बोर्ड जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डी0आई0ई0टी0) तथा नवोदय विद्यालय हेतु केन्द्रीय सेक्टर योजनाओं के अधीन सहायता प्राप्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं। आपरे इन ब्लैक बोर्ड स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 में 66 एकल अध्यापक प्राइमरी स्कूलों में दूसरा अध्यापक देने का प्रस्ताव है। प्रत्येक जिले में एक जिला तथा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने का भी प्रस्ताव है। इनमें से दो संस्थान, एक गुड़गांव तथा दूसरा बीसवांमिल (सोनीपत) में, भीघ

ही स्थापित किये जा रहे हैं तथा 1988-89 में पांच और ऐसे संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है। छः जिलों में एक-एक नवोदय विद्यालय पहले से ही खोले जा चुके हैं और अगले वर्ष के दौरान तीन और जिलों में भी ऐसे ही विद्यालय खोले जायेंगे। नई शिक्षा नीति के अधीन स्कूली अध्यापकों तथा महाविद्यालय के प्राध्यापकों के लिए विशेष अध्यापक अभिविन्यास कार्यक्रम का प्रबन्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त, विज्ञान शिक्षा, पुस्तकालयों के सुधार एवं विस्तार और महाविद्यालयों में अनेक नये विषयों को भारू करने पर बल दिया जा रहा है।

31. मेरी सरकार ने महाविद्यालयों तथा वि वविद्यालयों के लिए 1.1.1986 से नये वि वविद्यालय अनुदान आयोग ग्रेड लागू करने का निर्णय लिया है। ये ग्रेड भारत सरकार की सिफारिशों के अनुसार पुनरीक्षित किये गये हैं तथा इनको लागू करने के फलस्वरूप चालू वर्ष के अंत तक 735.75 लाख रूपये की कुल वित्तीय देयता निहित होगी जिसमें से राज्य सरकार का हिस्सा 161.35 लाख रूपये होगा। वर्ष 1988-89 के लिए वर्तमान पदों के लिए राज्य सरकार पर अतिरिक्त भार 76.60 लाख रूपये होगा।

इस वर्ष हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा दसवीं तथा बारहवीं कक्षाओं के लिये ली जाने वाली परिक्षाओं में नकल करने की बुराई को समाप्त करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है। इस कार्य के लिए शिक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों/कर्मचारियों को सतर्क कर दिया गया है। इस दिना

में किये जाने वाले प्रयासों का अच्छा असर हुआ है और यह अभियान सफल सिद्ध हो रहा है।

32. खेलकूद के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। वर्ष 1987-88 के दौरान हरियाणा की महिला एवं पुरुष खिलाड़ियों ने कबड्डी, वालीबाल, कुत्ती, जूडो, योगा, जिम्नास्टिक और खेलकूद की राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राज्य तथा देश के गौरव को चार चांद लगाये हैं। सरकार खेलकूद और युवा कल्याण को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक स्कीमें कार्यान्वित कर रही हैं, जिनमें स्कूलों और कालेजों में खेलकूद विंगों की स्थापना करना, प्रतिभाशाली पुरुष तथा महिला खिलाड़ियों को छात्रवृत्तियां देना तथा विभिन्न स्तरों पर प्रतियोगिताएं आयोजित करने वाले संघों को सहायता देना, शामिल है। खेलकूद विभाग राज्य के विभिन्न स्थानों में जिम्नेजियम और स्टेडियम के निर्माण के लिए भी सहायता दे रहा है। अम्बाला का जिम्नेजियम अभी हाल ही में पूरा हुआ है और करनाल तथा कुरुक्षेत्र में दो और जिम्नेजियम लगभग पूरे होने ही वाले हैं। फरीदाबाद में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम पूरा हो गया है। वर्ष 1988-89 में चुनिंदा जिला मुख्यालयों पर खेलकूद नर्सरियां स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है ताकि 8 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के प्रतिभाशाली बच्चों को विभिन्न खेलों के लिए तैयार किया जा सके।

केन्द्र चालित कार्यक्रम के अन्तर्गत पंचकूला में पहले ही एक युवा होस्टल स्थापित है। इसके अतिरिक्त इसी योजना के अधीन पिपली में एक नया युवा होस्टल स्थापित किया जा रहा है गुड़गांव और भिवानी में दो और होस्टल स्थापित करने की मंजूदी दी गई है। पांच नये नेहरू युवा केन्द्रों की स्थापना हो जाने से अब प्रत्येक जिला मुख्यालय पर ऐसा एक केन्द्र बन गया है।

33. मेरी सरकार 2000 ईस्वी तक सर्व जन स्वास्थ्य के दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध है। इसके लिए हमें 2366 उप-केन्द्रों, 394 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 98 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता है। मार्च 1988 के अन्त तक राज्य में 2050 उपकेन्द्र, 326 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 51 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र होंगे। वर्ष 1988-89 में हमारा 150 उप केन्द्र, 30 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, राज्य में 408 आयुर्वेदिक/यूनानी डिस्पेंसरियों हैं और आगामी वर्ष में 20 और डिस्पेंसरियां स्थापित करने का प्रस्ताव है। मैडिकल कालेज, रोहतक के नए रेडियो विकिरण चिकित्सा ब्लाक में पूर्ण भारीर स्कैन और कोबाल्ट चिकित्सा यूनिट भुरु किए जाने की भी सम्भावना है।

माताओं तथा बच्चों की उचित देखभाल के परिणामस्वरूप हरियाणा में नवजात शिशु मृत्यु दर 85 प्रति हजार रह गई है जबकि इसकी राष्ट्रीय औसत 95 प्रति हजार है।

सार्वजनिक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अधीन 7 जिलों में 6 घातक रोगों से पूर्ण प्रतिरक्षण हेतु व्यवस्था की जा रही है और वर्ष 1988-89 के दौरान भोश 5 जिलों में भी यह कार्यक्रम लागू कर दिया जाएगा। मलेरिया का प्रभाव भी काफी कम हुआ है। वर्ष 1986 में मलेरिया के 62575 रोगी थे जबकि वर्ष 87 में इनकी संख्या घटकर 18916 रह गई।

34. उच्चतर तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, हरियाणा में अब तक केवल एक ही इंजीनियरिंग कालेज अर्थात् रिजनल इंजीनियरिंग कालेज, कुरुक्षेत्र था जो कि राज्य और केन्द्र सरकार का संयुक्त उद्यम है। इस कालेज में विभिन्न विषयों के लिए प्रति वर्ष 250 विद्यार्थियों को दाखिल किया जाता है जिनमें से 50 प्रतिशत सीटें हरियाणा के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होती हैं। और भोश 50 प्रतिशत सीटें अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के लिए हैं। इंजीनियरिंग में स्नातक स्तर पर शिक्षण सुविधाओं की कमी को ध्यान में रखते हुए मेरी सरकार ने मुरथल, जिला सोनीपत में छोटूराम स्टेट इंजीनियरिंग कालेज स्थापित किया है जिसमें इंजीनियरिंग के विभिन्न विषयों में प्रतिवर्ष 270 विद्यार्थी प्रवेश पा सकते हैं। अभी तक दो ही विषयों में, नामतः मकैनिकल इंजीनियरिंग और इलैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 30-30 विद्यार्थियों ने प्रवेश प्राप्त किया है। इंजीनियरिंग में डिप्लोमा स्तर के विषयों का शिक्षण देने के लिए विभिन्न राजकीय बहुतकनीकी संस्थाओं में अने नये विषय भुंरु किये गये हैं।



35. मेरी सरकार सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक राज्य के सभी समस्याग्रस्त गांवों में पेय जल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है। चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार का 380 समस्याग्रस्त गांवों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव है, जिसमें से 370 गांवों को यह सुविधा दी जा चुकी है। भयंकर सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को समाप्त करने के लिए, सुखाग्रस्त क्षेत्रों में जल की उपलब्धता को सुधारने के लिए वर्ष के दौरान 5.85 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण तथा भाहरी क्षेत्रों में 100 नलकूपों की व्यवस्था की गई है। नहर आधारित स्कीमों के सम्बन्ध में जहां वर्तमान भण्डारण को बिलकुल अपयुक्त पाया गया है, वहां अतिरिक्त भण्डारण क्षमता की व्यवस्था की जा रही है।

ग्रामीण जल सप्लाई के लिए "टैक्नॉलाजी मिशन" के अधीन एक अलग से कार्यक्रम आरम्भ किया गया है जिसके लिए 2.63 करोड़ रुपये की एक परियोजना गुड़गांव जिले के लिए अनुमोदित की गई है। इस परियोजना के अधीन जल की उपलब्धता तथा इसकी गुणवत्ता को सुधारने हेतु प्रयत्न किए जा रहे हैं। वर्ष 1988-89 में जिला अम्बाला में भी इसी प्रकार की परियोजना आरम्भ करने का प्रस्ताव है।

36. हरियाणा रोडवेज देा की सर्वोत्तम परिवहन सेवा मानी जाती है। 31 दिसम्बर, 1987 तक राज्य में तथा अन्तर्राज्यीय मार्गों पर हमारी 3104 बसें चलती थीं जिनमें प्रतिदिन 12.2 लाख

यात्री सफर करते थे। यह भी प्रस्ताव है कि थोड़ी दूरी की यात्रा के लिए काफी संख्या में मिनी बसें भी खरीदी जाएं। वर्ष 1988-89 के दौरान, 14 करोड़ रुपये के परिव्यय में से 11.50 करोड़ रुपये बसों की संख्या में बुद्धि करने के लिए खर्च किये जायेंगे। बसों के बाडीज के आधुनिकीकरण तथा बसों की संख्या में वृद्धि करने के लिए संस्थागत वित्त प्राप्त करने के उद्दे य से रोडवेज इंजीनियरिंग निगम नाम की सरकारी कम्पनी बनाई गई है। भारतीय उद्योग विकास बैंक राज्य सड़क परिवहन निगमों द्वारा बसें खरीदने के लिए धन देने हेतु अपनी स्कीम में विशेष केस के तौर पर हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग निगम को शामिल करने के लिए सहमत हो गया है।

37. कुरुक्षेत्र, भिवानी के ओवर ब्रिजों तथा ओमला और टांगरी नदी पर ऊंचे पुलों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। वर्ष 1988-89 के दौरान, करनाल-मेरठ सड़क पर यमुना नदी क्रॉसिंग के ऊपर महत्वपूर्ण पुल पर तथा कुछ अन्य पुलों पर भी काम शुरू करने का प्रस्ताव है। आगामी वर्ष में 220 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण तथा राज्य की जो सड़कें कमजोर तथा तंग हैं, उनके 200 किलोमीटर भाग को चौड़ा तथा सुदृढ़ करके उन्हें सुधारने का प्रस्ताव है।

मेरी सरकार ने उन सभी बेरोजगार व्यक्तियों को जो नए रोजगार के लिए साक्षात्कार हेतु जाते हैं, हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है। उनको अपने घर से

हरियाणा अथवा दिल्ली अथवा चण्डीगढ़ में साक्षात्कार के स्थान पर आने जाने के लिए साधारण बस द्वारा मुफ्त सफर करने की यह सुविधा उपलब्ध होगी। इससे राज्य में हजारों बेरोजगार युवक युवतियों को पर्याप्त राहत मिलेगी।

38. समूचे राज्य में स्थित विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को सुविधाएं जुटाने के लिए हरियाणा सुप्रसिद्ध है। राज्य में पर्यटक सुविधाओं को और बढ़ाने का प्रस्ताव है। नरवाना, मोरनी हिल्ज और कृष्णधाम कुरुक्षेत्र में तीन नये पर्यटन केन्द्र चालू कर दिए गए हैं, जबकि सिरसा जिले में अबूब गहर और आसाखेड़ा के पुराने केन्द्रों को पुनः चालू कर दिया गया है। इससे हरियाणा में पर्यटन केन्द्रों की कुल संख्या बढ़ कर 35 हो गई है। समालखा में एक नया मोटल और रैंस्तरां और धारूहेड़ा में तुरंतभोजन सेवा युनिट भी लगभग पूरे होने वाले हैं और उन्हें भीघ चालू कर दिया जायेगा। बहादुरगढ़, बल्लभगढ़, पेहोवा, गडगांव, दमदमा और पंचकूला में नये पर्यटन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है जिनका आरम्भिक कार्य शुरू हो चुका है।

39. हरियाणा ने वास्तुकला के क्षेत्र में बहुत ख्याति प्राप्त की है। प्रगति मैदान, नई दिल्ली में लगाये गये हरियाणा मण्डप को भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला प्राधिकरण से स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ और इसे सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। मण्डप के लिए यह लगातार मिलने वाला छठा पदक है। भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा संस्कृत एवं भारत भारती विद्या संस्थान, कुरुक्षेत्र

के भवन को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में वर्ष 1986 का सर्वोत्तम भवन पुरस्कार प्रदान किया गया।

40. मेरी सरकार ने 9 अगस्त, 1987 से स्वतन्त्रता सेनानियों की वित्तीय सहायता को 200 रूपये प्रतिमास से बढ़ाकर 250 रूपये प्रतिमास कर दिया है। दिसम्बर, 1987 के अन्त तक हरियाणा के 127 स्वतन्त्रता सेनानियों और उनकी विधावाओं को हमने सम्मानित भी किया है। इस समय 3582 स्वतन्त्रता सेनानियों को, जिनमें भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के 2494 सैनिक और उनकी विधवाएं भी शामिल हैं, 250 रूपये प्रतिमास की दर से वित्तीय सहायता दी जा रही है। स्वतन्त्रता सेनानियों के बच्चों तथा पोते पोतियों के लिए विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आरक्षण भी किया गया है और सरकारी नौकरियों में भर्ती के समय भी उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। स्वतन्त्रता सेनानियों को हरियाणा तथा दिल्ली में हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में निः शुल्क यात्रा करने की रियायत, हरियाणा के विधायकों के समान ही दी जाती रहेगी।

41. 15 अगस्त, 1987 से 15 अगस्त, 1988 तक स्वतन्त्रता की 40वीं वर्ष गांठ और 14 नवम्बर, 1988 से 14 नवम्बर, 1989 तक पण्डित जवाहर लाल नेहरू की जन्म भाताब्दी मनाने के लिए हरियाणा में एक राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। इसके निर्णयों और निदेशानों के कार्यान्वयन हेतु एक राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। इस

समारोह को मनाने के लिए बल्लभगढ़, झज्जर, नसीबपुर, हांसी, पलवल, कलिंगा और डिंगसारा के सात ऐतिहासिक स्थानों की पवित्र मिट्टी सात कले गों में एकत्रित कर चण्डीगढ़ लाई गई थी जहां पुष्पांजली अर्पण समारोह आयोजित किए गए। ऐतिहासिक स्वतन्त्रता संग्राम का स्मरण करते हुए देश की अखण्डता तथा एकता को पुनः सबल बनाने के लएविधान सभा द्वारा प्रस्ताव भी पारित किया गया था। 2 अक्टूबर, 1987 को राजाट से लाई गई पवित्र मिट्टी से हरियाणा राजभवन के परिसर में स्वतन्त्रता वृक्ष का रोपण भी किया गया। हिसार में स्वतन्त्रता के चालीसवें वर्ष की दौड़ भी आयोजित की गई थी। प्रत्येक जिले अथवा तहसील में चुने हुए भवनों, सामुदायिक परिसम्पतियों और सड़कों के स्थानीय स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम दिए जाने का भी प्रस्ताव किया गया है। भारत की स्वतन्त्रता की 40वीं वर्षा गांठ के उपलक्ष्य में भाहीदों और स्वतन्त्रता सेनानियों से सम्बन्धित सात स्थानों पर स्मारक बनाये जायेंगे और उपवन लगाये जाएंगे। रोहतक में नेहरू नक्षत्र माला और कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय थीम पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा गया है।

42. मेरी सरकार का राज्य के सर्वतोमुखी विकास के लिए विभिन्न स्कीमें आरम्भ करने का प्रस्ताव है। ऐसा करते समय यह विशेष रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि समृद्धि का लाभ राज्य के सभी क्षेत्रों को प्राप्त हो। मैं इस सम्बन्ध में मेवात क्षेत्र तथा मोरनी पहाड़ियों में भुरू किए गए विकास कार्यक्रमों को

उल्लेख करना चाहूंगा। मेवात क्षेत्र के एकीकृत विकास के लिए भरसक प्रयास किये जा रहे हैं। ग्रामीण पेय जल सप्लाई स्कीमों प्राथमिकता के आधार पर आरम्भी की गई हैं तथा मेवात क्षेत्र के 491 गांवों में से 453 गांवों को नल सप्लाई की सुविधा जुटा दी गई है। भोश 38 गांवों में भी कार्य भुरु कर दिया गया है और आ जा की जाती है कि सभी गांवों को यह सुविधा भीघ्र पहुंचा दी जायेगी। इस क्षेत्र में जल सप्लाई बढ़ाने के लिए वर्ष 1987-88 के दौरान 35 लाख रूपये की राशि का उपबन्ध किया गया है। लड़कियों में शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए मेवात बोर्ड, अनुसूचित जातियों/पिछड़े वर्गों, तथा गरीबी की रेखा से नीचे वाले परिवारों से सम्बन्ध रखने वाली छात्राओं को पहले से दी जा रही सुविधाओं को बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। मेवात क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न स्कीमों को क्रियान्वित करने के लिए कुल 275 लाख रूपये खर्च करने का प्रस्ताव है। आ जा की जाती है कि ये उपाय मेवात तथा राज्य के अन्य क्षेत्रों का असन्तुलन और कम करने में सहायक होंगे।

43. मेरी सरकार ने मोरनी हिल्ज क्षेत्र के समूचे विकास के लिए मोरनी हिल्ज क्षेत्र विकास समिति का गठन किया है जिसके अध्यक्ष श्री मूल चन्द जैन, उपाध्यक्ष योजना बोर्ड है। यह समिति वन भूमि के सम्बन्ध में स्थानीय लोगों के अधिकारों, उनके आर्थिक उत्थान, पर्यटन विकास, खनिज पदार्थों के सहयोग, बाढ़ नियन्त्रण उपायों और बांधों के निर्माण द्वारा सिंचाई सुविधाओं को

जुटाने की ओर ध्यान देगी। इस क्षेत्र में आई0टी0आई केन्द्र खाला गया है, मधु मक्खी पालन, फलदार वृक्षों का रोपण, खुम्बी की का त और अंगोरा खरगो 1 का पालन भुरू कर दिया गया है। इस क्षेत्र में सीमेन्ट फैक्ट्री स्थापित करने के लिए आ 1य पत्र प्राप्त हो गया है। इन सभी स्कीमों के स्थानीय लोगों को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे। मोरनी क्षेत्र का पहले कभी बन्दोबस्त नहीं किया गया। यह कार्य अब भुरू किया गया है, जिस से वन-क्षेत्र में स्थानीय लोगों के अधिकारों के सम्बन्ध में चिरकाल से चले आ रहे मामलों का निपटारा हो जायेगा।

44. हिसार के निक्ट अग्रोहा को अग्रवाल समुदाय का जन्म स्थान माना जाता है जहां प्राचीन समय में महाराजा अग्रसेन राज करते थे और उन्होंने समतावादी समाज की नींव रखी थी। अग्रोहा और उसके पर्यावरण को उचित ढंग से विकसित करने के लिए इस समुदाय की चिरकालिक मांग को पूरा करने के लिए मेरी सरकार ने उच्च अधिकार प्राप्त अग्रोहा विकास बोर्ड गठित किया है जिसमें मुख्य संरक्षक के रूप में चौधरी देवी लाल, मुख्य मंत्री और संरक्षकों के रूप में श्री बनारसी दास गुप्त, उप मुख्य मंत्री और प्रोफ़ैसर सम्पत सिंह, गृह मंत्री तथा इसके अध्यक्ष श्री धन याम दास गोयल हैं हालांकि राज्य सरकार इसके लिए सभी प्रकार की सम्भव सहायता देगी, यह आ 11 की जाती है कि यह समुदाय अग्रोहा तथा इसके आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए उदारता से अं 1दान देगा। अन्य विकास कार्यों के अतिरिक्त इस

ऐतिहासिक स्थान पर कुछ उच्च स्तर की तकनीकी संस्थाओं और एक मंडी स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

45. राज्य के कुछ सार्वजनिक उपक्रां की कार्य प्रणाली मेरी सरकार के लिए गम्भीर चिन्ता का विषय है। घाटे में चल रहे युनिटों के कार्य को जांचने तथा उचित उपायों की सिफारि ा करने के लिए पहले एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति नियुक्त की गई थी। विभिन्न बोर्डों और निगमों के कार्यों को सुचारू रूप देने के लिए औरउनको अत्यधिक किफायती और लाभदायक बनाने के लिए मेरी सरकार ने एक सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो का गठन किया है यह ब्यूरो बोर्डों तथा निगमों के कार्यों का परिवीक्षण तथा उनकी समीक्षा करेगा और इसके साथ-साथ सरकारी उद्यमों के सम्बन्ध में इस सदन की समिति की सिफारि ां के कार्यान्वयन वारे उचित निदे ान और पराम र्ति भी देगा। अच्छी वित्त व्यवस्था, लेखों और विपणन से सम्बन्धित मामलों पर बोर्डों और निगमों को उचित मार्गदर् िन और सहायता देने के लिए यह वि ोशज्ञों का एक प्रभावी संवर्ग भी तैयार करेगा। ब्यूरो वि ि ाष्ट कार्यविधि की सिफारि ा करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि बोर्डों /निगमों का कार्य सर्वोत्तम स्तर पर किया जाए और कमियों को प्रभावी रूप से दूर करके हानियों को कम किया जा सके।

46. न्यायमूर्ति टेक चन्द की अध्यक्षता में वर्ष 1977-78 में जेल सुधार आयोग नियुक्त किया गया था और आयोग ने महत्वपूर्ण सिफारि ां सहित अपनी रिपोर्ट वर्ष 1980 में प्रस्तुत



कर दी थी। दुर्भाग्यवश सात वर्षों की लम्बी अवधि में इन सिफारिशों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। मेरी सरकार ने इस रिपोर्ट तथा अन्य सम्बन्धित रिपोर्टों की जांच करने तथा उचित कार्यवाही हेतु सुझाव देने के लिए नवम्बर, 1987 में श्री मूल चन्द जैन, उपाध्यक्ष, राज्य योजना बोर्ड की अध्यक्षता में एक जेल सुधार समिति नियुक्त की है। समिति द्वारा दी गई अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर राज्य में जेलों की व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। ये कैदियों को पैरोल और फरलो पर छोड़ने की भावना से सम्बन्धित हैं, जिन्हें कैदियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को परेशानी से बचाने के लिए आसान कर दिया गया है। कैदियों को दी जाने वाली सुविधाओं में सुधार लाने तथा रिहाई के बाद उनके उचित पुनर्वास के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के आधुनिक तरीके शुरू करने का भी प्रस्ताव है। ग्रामीण कैदियों के लिए, जेल फार्मों में प्रदत्त प्लॉट शुरू करने का भी प्रस्ताव है ताकि उसके पश्चात् वे कृषि कार्य कर सकें। जेल मैनुअल में भी व्यापक रूप से संशोधन करने का प्रस्ताव है। गैर सरकारी जेल निरीक्षक भी नियुक्त किए जायेंगे और जेल कर्मचारियों के वेतन और ओहदों में सुधार किया जाएगा।

47. बिक्री कर सम्बन्धी मामलों पर सरकार को परामर्श देने के लिए एक राज्य स्तरीय कमेटी बनाई गई है। अनेक फार्म समाप्त करके, तुरंत कर निर्धारण व्यवस्था द्वारा तथा केवल

स्वीकृत कर तथा ब्याज की अदायगी के बाद अपीलें सुनने की अनुमति दे कर बिक्री कर कानूनों तथा क्रियाविधियों को सरल बनाने का प्रयास किया गया है। करदाताओं के लिए देय राशि की वापसी समयबद्ध कर दी गई है। खल, तेल रहित खल, गुड़, भाक्कर, लकड़ी के फर्नीचर जैसी विभिन्न वस्तुओं पर तथा निर्माताओं को बेचे जाने वाले सीमेन्ट टायर ट्यूबों तथा पैकिंग सामान पर भी कर की दर कम कर दी गई है। पट्टा-चारा, साल्ट तथा सोयाबीन दूध को बिक्री कर से बिल्कुल छूट दे दी गई है। धातु के बर्तनों पर, प्रेस कुकर, जूट, बैग परती जूट बैग तथा सिथैटिक बैगों पर कर की दर और कम करने का भी प्रस्ताव है। कैप्टीमीमो जारी करने की वर्तमान सीमा 50 रूपये से बढ़ाकर 75 रूपये की जा रही है।

48. हरियाणा में वर्ष 1973 में विभिन्न नगरपालिकाओं के निष्प्रभावीकरण के बाद पिछले कई वर्षों से उनके चुनाव नहीं हुए थे। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मेरी सरकार ने सत्ता में आने के भीघ्र बाद राज्य नगरपालिकाओं के चुनाव कराए हैं। इस प्रकार नगरपालिकाओं में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को म्यूनिसिपल प्रशासन का कार्यभार दिया गया है और हमने हरियाणावासियों को दिए गए वचन को पूरा कर दिया है। मेरी सरकार इन नगरपालिकाओं की यथासंभव सहायता करने का प्रयास करेगी ताकि वे राज्यवासियों के लिए बेहतर नागरिक सुविधाएं सुनिश्चित कर सकें।

49. मेरी सरकार ने जिलों के पुनर्गठन के विषय में सरकार को परामर्श देने के लिए सिंचाई तथा बिजली मंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। यह कमेटी जनता के प्रतिनिधियों तथा जनता से अर्जियां तथा सुझाव आमन्त्रित करेगी और सांस्कृतिक समानता, संचार सुविधाओं, प्रशासनिक सुविधा तथा अन्य सम्बद्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।

50. मेरी सरकार अपने कर्मचारियों की वास्तविक कठिनाइयों के प्रति सदैव ही सहानुभूतिपूर्ण रही है तथा उन्हें समुचित वित्तीय लाभ प्रदान करने के लिए हाल ही में कई कदम उठाये गए हैं। हरियाणा उन पहले कुछ राज्यों में से एक राज्य है जिन्होंने अपने कर्मचारियों के मामले में चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया है तथा कर्मचारियों को पर्याप्त रहात प्रदान की है। राज्य सरकार ने 25,000 से कम जनसंख्या वाले गांवों तथा कस्बों में नियुक्त काफी अधिक कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता सुविधा प्रदान की है। जहां पहले उन्हें यह सुविधा नहीं दी जाती थी। इसके अतिरिक्त, अनेक भत्तों की दरें जैसे साइकिल भत्ता, नियत यात्रा भत्ता तथा विशेष वेतन को दुगुना कर दिया गया है। मूल्य सूचक आंकड़ों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के महंगाई भत्तों की दरों में भी पर्याप्त वृद्धि 1 जुलाई, 1987 से कर दी गई है।

प्रशासन में भ्रष्टाचार एक भयानक रोग है। परन्तु दुर्भाग्यवश इसका अभी तक पूरे जोर से मुकाबला नहीं किया गया। जनजीवन को प्रभावित करने वाले इस अभिशाप को प्रभावी ढंग से समाप्त करने के लिए मेरी सरकार ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बोर्ड का गठन किया है तथा इस बोर्ड के लिए ईमानदार अधिकारी चुने गए हैं। इसके परिणाम नजर आने शुरू हो गए हैं। मेरी सरकार का यह प्रयत्न होगा कि हरियाणा की जनता को दिए भ्रष्टाचार बन्द के नारे के वचन को प्रभावी ढंग से पूरा किया जाए।

मैंने संक्षेप में महत्वपूर्ण उपलब्धियों और सरकार के आगामी कार्यक्रमों तथा नीतियों का परिचय दिया है। मुझे विश्वास है कि उच्च परम्पराओं के अनुसार आपका जनकल्याण हेतु रचनात्मक तथा सकारात्मक योगदान होगा। मुझे आशा है कि इस सत्र में आपके विचारविमर्श से जनता की समस्याओं का समाधान करने और विकास की गति में तेजी लाने में हमें सहायता मिलेगी। इन भावों के साथ मैं आपकी सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ।

जय हिन्द।

**भा.क. प्रस्ताव**

**श्री अध्यक्ष:** अब आनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब औबिचुअरी रैफरैन्सिज पे करेंगे।

**मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल):** जनाब स्पीकर साहब, हमारी असैम्बली के पिछले इजलास से लेकर इस इजलास के अर्से के बीच हमारे कुछ साथी हम को छोड़कर चल बसे हैं, मैं उनके लिए औबिचुअरी रैजोल्यूशन पे आकर करता हूँ।

### **भारत रत्न खान अब्दुल गफ्फार खां**

अध्यक्ष महोदय, यह सदन सरहदी गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां के 20 जनवरी, 1988 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

खान अब्दुल गफ्फार खां स्वतन्त्रता आन्दोलन के पहली कतार के नेताओं में से थे। आजादी की तहरीक में उनका योगदान दूसरे किसी भी नेता के लिहाज से ज्यादा है। हालांकि उनका जन्म बन्दूकधारी पठानों के प्रदेश में हुआ था। जो हमें हिंसा पर उतारू रहते थे, सरहदी गांधी ने अपने जीवन में अहिंसा के महान सिद्धांत को अपनाकर उसका प्रचार प्रसार किया और लड़ाकू पठानों को पक्का अहिंसावादी बनाकर महात्मा गांधी जी के पैरोकारों की लाईन में ला खड़ा किया। वह एक ऐसे महापुरुष थे जो अपने जीवन-काल में ही एक दास्तान बन गये थे। उनकी याद उन लोगों के दिलों से कभी नहीं मिटेगी, जिन्होंने उन्हें भारत की आजादी की लड़ाई लड़ते हुए देखा है।

सरहदी गांधी का जन्म सन् 1890 में हुआ और 29 वर्ष की आयु में ही वह राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संग्राम में कूद पड़े थे।

उन्होंने रोलट बिल के खिलाफ चलाएं गए आन्दोलन में भाग लिया और गिरफ्तार कर लिये गये, किन्तु बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। उसके बाद उन्होंने अपना कदम कभी पीछे नहीं हटाया। सरहदी गांधी ने उत्तर पश्चिम सरहदी सूबों में खिलाफत आन्दोलन चलाया। वर्ष 1921 में उन्होंने उतमान जई में ने नल स्कूल की स्थापना की और पठानों में ने नेलिज्म का जजबा जगाने के इल्जाम में उन्हें फ्रन्टियर क्राइमज रेगुले न के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। वर्ष 1924 में जेल से रिहा होने के बाद वह समाज सुधार के अहिंसापूर्ण कार्यों में जुट गये।

खान अब्दुल गफ्फार खां उसके बाद वर्ष 1930 में सिविल डिसेओबिडियंस मूवमेंट में कूद पड़े और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कैद के दौरान उन्हें पंजाब की मुख्तलिफ जेलों में रखा गया। परन्तु बाद में उन्हें गांधी इरविन समझौता के अधीन रिहा कर दिया गया।

वह महात्मा गांधी के सच्चे पैराकार थे लेकिन ने नल पालिसियों के बारे में वे आजाद ख्यालात के मालिक थे। कांग्रेस पार्टी से युद्ध नीतियों के बारे में मतभेद होने पर उन्होंने 1939 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया परन्तु बाद में जब कांग्रेस ने अपनी उस नीति में परिवर्तन कर लिया तो 1940 में वह पुनः कांग्रेस में शामिल हो गये। उन्होंने भारत की तकसीम की सख्त मुखालफित की थी और जब कांग्रेस ने दे आ के विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तो उन्होंने अपने आप को बड़ा दुखित महसूस

किया। पाकिस्तान की स्थापना के साथ ही खान अब्दुल गफ्फार खां ने पख्तुनिस्तान बनाने के लिए आन्दोलन भुरू किया। उनका संघर्ष जारी था। आजादी के बाद भी पाकिस्तान सरकार ने उन्हें कई बार गिरफ्तार किया और अन्त में उन्हें जलावतन करके अफगानिस्तान में भेज दिया गया, जहां वे 1972 के अन्त तक रहे।

खान अब्दुल गफ्फार खां ने अपनी सामाजिक और सियासी सरगर्मियों को प्रोत्साहन देने के लिए खुदाई खिदमतगार संगठन की बुनियाद रखी। उनके संगठन को जनता की बेहद हिमायत हासिल हुई और पठान उन्हें बाद में खान के नाम से पुकारने लगे। गांधी जी ने भी उन्हें पख्तूनों का बेताज बाद में कहा था।

उनके निधन से इस कंटीनैट ने अहिंसा का सफ़ीर और भारत ने अपना एक सच्चा मित्र खो दिया है। वे हमारे आजादी की जदोजहद की सबसे अब्बल कतार के आखरी पूजनीय नेता थे। भारत, खान अब्दुल गफ्फार खां के स्वतन्त्रता आन्दोलन में योगदान के लिए हमें उनका अहसानमन्द रहा है और पिछली बार अगस्त 1987 में जब वह अपने इलाज के लिए भारत में आरीफ लाए थे, तो उन्हें इस देश ने अपना सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न प्रदान करके उनका सम्मान किया।

यह सदन उनके निधन पर उनके दुःखी परिवार के सभी सदस्यों तथा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोगों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

### श्री कर्पूरी ठाकूर—बिहार के भूतपूर्व मुख्य मंत्री

अध्यक्ष महोदय, यह सदन बिहार के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री कर्पूरी ठाकूर के 17 फरवरी, 1988 को हुये दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री ठाकूर का जन्म मई 1921 में हुआ। उन्होंने कालिज छोड़ दिया और 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लिया। वह 26 महीनों के लिए जेल गये। वह कांग्रेस सो गलिस्ट पार्टी के सदस्य तथा 1948 में सो गलिस्ट पार्टी के सदस्य बने। वह सो गलिस्ट पार्टी की बिहार भाखा के 21 वर्ष तक सदस्य रहे। उन्होंने स्वतन्त्रता के बाद कई किसान और कार्यकर्ता आन्दोलनों में भाग लिया तथा पांच बार जेल गये। वह 1948—1952 तक प्रान्तीय किसान समिति के ज्वायंट सैक्रेटरी रहे। 1952 में वह बिहार विधान सभा के लिए चुने गये। तब से वह बिहार राज्य की सियासत के मरकज बने रहे। वह 1967 में और पुनः 1970—72 में बिहार के उप—मुख्य मंत्री रहे। वह 1977 में लोक सभा के लिए चुने गये परन्तु 1977—1979 में बिहार की जनता सरकार का नेतृत्व करने के लिए उन्होंने लोक सभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे



दिया। वे पिछड़े वर्गों के महान नेता तथा लोकदल (व) के मुमताज भाखिसयत थे।

उनके निधन से देश एक विविष्ट प्रसाक, एक महान सियासतदान तथा दलितों के उत्थान के लिए साहसी योद्धा की सेवाओं से महरूम हो गया है।

यह सदन दिवंगत के दुखी परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवदेना प्रकट करता है।

### **श्री हरिहर प्रसाद सिंह—बिहार के भूतपूर्व मुख्य मंत्री**

यह सदन बिहार के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री हरिहर प्रसाद सिंह के 10 मार्च 1988 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाके प्रकट करता है।

श्री हरिहर प्रसाद सिंह का जन्म सन् 1900 में हुआ। विद्यार्थी जीवन से ही उन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लेना आरम्भ कर दिया तथा वे वर्ष 1920, 1932, 1934, 1936, 1937 तथा 1942 में जेल गए। वे 1937, 1946, 1952, 1967 तथा 1969 में पांच बार बिहार विधान सभा के मैम्बर चुने गए। वे 1957 में बिहार विधान परिशद् के सदस्य बनने। वे एक तजुरुबेकार पार्लियामैटेरियन थे तथा फरवरी 1969 से जून 1969 तक बिहार के मुख्य मंत्री रहे।

उनके निधन से दे 1 एक बड़े फ्रीडम फाईटर, एक तजरूबेकार विधायक तथा योग्य प्र तासक की सेवाओं से महरूम हो गया है।

यह सदन दिवंगत के दुःखी परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

### **चौधरी गोवर्धन दास चौहान—हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री**

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री चौधरी गोवर्धन दास चौहान के 28 फरवरी, 1988 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

चौधरी गोवर्धन दास चौहान का जन्म 17 अप्रैल, 1930 को हुआ। वे पे ता से एक किसान थे। वे हरियाणा बाल्मीकि सभा के प्रेजीडेंट थे तथा उन्होंने गरीबों तथा दलितों के उत्थान के लिए कार्य किया। वे 1968—1969 में हरियाणा के पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी तथा 1970 में हरियाणा के उप—मंत्री रहे। वे 1982—83 में राज्य मंत्री तथा 1986—87 में स्वास्थ्य मंत्री रहे।

उनके निधन से हरियाणा एक तजरूबेकार विधायक तथा योग्य प्र तासक की सेवाओं से महयम हो गया है।

यह सदन दिवंगत के दुःखी परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

### **सरदार कपूर सिंह—संयुक्त पंजाब के भूतपूर्व मंत्री**

यह सदन संयुक्त पंजाब के भूतपूर्व वित्त मंत्री सरदार कपूर सिंह के 3 मार्च, 1988 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

सरदार कपूर सिंह का जन्म जिला लुधियाना केनसराली गांव में हुआ। उन्होंने लुधियाना में वकालत आरम्भ की तथा थोड़े समय मध्य भारत की एक रियासत के सैान जज व दीवान के रूप में कार्य किया। वे 1925 के भुरू में सियासी जीवन में आए। वे 1937 में पंजाब विधान सभा के लए चुने गए तथा 1947 में पंजाब तकसीम तक इसी ओहदे पर रहे। 1947 में वह पंजाब विधान सभा के स्पीकर चुने गए तथा 1951 तक इसी पद पर रहे। वह 1952 में पंजाब विधान परिशद् के चेयरमैन चुने गए तथा 1964 तक रहे। 1964 में वह वजीरे खजाना बने तथा 1966 तक इसी ओहदे पर रहे। वे कई तालीमी संस्थाओं से बावस्ता थे। उन्होंने कई मुल्कों का सफर किया।

उनके निधन से देा एक तजुरुबेकार विधायक व एक योग्ज प्रासक की सेवाओं से महरूम हो गया है।

यह सदन दिवंगत के दुःखी परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

**चौधरी जगत राम—पंजाब के भूतपूर्व मंत्री**

यह सदन पंजाब के भूतपूर्व मंत्री चौधरी जगत राम के 4 जनवरी, 1988 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

चौधरी जगत राम का जन्म पहली जनवरी, 1917 को हुआ। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता थे तथा उन्होंने हरिजनों व मजदूरों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए कार्य किया। वह 1957, 1962, 1969, 1972 तथा 1980 में पंजाब विधान सभा के लिए चुने गए। वह सरदार दरबारा सिंह के नेतृत्व में गठित मंत्रिमंडल में जून 1980 से अक्टूबर 1983 तक श्रम व रोजगार तथा समाज कल्याण मंत्री रहे।

उनके निधन से दे 1 एक सामाजिक कार्यकर्ता तथा तजुरुबेकार विधायक की सेवाओं से महरूम हो गया है।

यह सदन दिवंगत के दुःखी परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

### **श्री इकबाल सिंह—भूतपूर्व केन्द्रीय उप—मंत्री**

यह सदन भूपूर्व केन्द्रीय उप—मंत्री सरदार इकबाल सिंह के 26 दिसम्बर, 1987 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

सरदार इकबाल सिंह का जन्म 27 अक्टूबर, 1923 को हुआ। उन्होंने भारत छोड़ो आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया तथा

जेल गए। वे 1954 से 1970 क लोक सभा के सदस्य रहे। वे 1966 से 1971 तक केन्द्रीय उप-मंत्री थे। वह 1971 से 1972 तक भारतीय खाद्य निगम के चेयरमैन रहे। उन्होंने अपने क्षेत्र की तालीमी संस्थाओं के विकास में गहरी दिलचस्पी ली तथा वे कई तालीमी और सामाजिक संस्थाओं के प्रबन्ध निकायों के सदस्य भी रहे।

उनके निधन से देश एक योग्य प्रशासक तथा तजुर्बेकार पार्लियामेंटेरियल की सेवाओं से महरूम हो गया है।

यह सदन दिवंगत के दुःखी परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

### **सरदार त्रिलोचन सिंह रियासती—पंजाब के भूतपूर्व राज्य मंत्री**

यह सदन पंजाब के भूतपूर्व राज्य मंत्री सरदार त्रिलोचन सिंह रियासती के 9 जनवरी, 1988 को हुये दुःखद निधन पर गहरा भावुक प्रकट करता है।

सरदार त्रिलोचन सिंह रियासती का जन्म 13 दिसम्बर, 1927 को हुआ। वह एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता तथा फ्रीडम फाईटर थे। नेताओं द्वारा देश की तकसीम को स्वकीर करने के विरोध में उन्होंने 1947 के पश्चात् कांग्रेस छोड़ दी। वह 1962, 1969 तथा आखिरी मिड-टर्म-इलैक्शन में पंजाब विधान सभा के लिये चुने गये। वह 1970-72 में बादल मंत्रिमण्डल में लोक सम्पर्क राज्य मंत्री रहे। सरदार रियासती एक पत्रकार भी थे।

उनके निधन से दे 1 एक सामाजिक कार्यकर्ता तथा तजुरुबेकार प्र ासक की सेवाओं से महरूम हो गया है।

यह सदन दिवंगत के दुःखी परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

### श्री लक्ष्मी कान्त झा—संसद सदस्य

यह सदन संसद सदस्य श्री लक्ष्मी कान्त झा के 16 जनवरी, 1988 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

#### 16.00 बजे

श्री लक्ष्मी कान्त झा का जन्म 2 नवम्बर, 1913 को हुआ। वे 1936 में भारतीय सिविल सेवा में भामिल हुए। अपने कार्यकाल के दौरान वे कई अहम ओहदों पर रहे। वे 1964-67 में प्रधान मंत्री के सैक्रेटरी रहे। 1967-70 में उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का पद संभाला। 1970-73 में वे अमरीका में भारतीय राजदूत रहे। वे 1973 से 1981 तक जम्मू क मीर के गवर्नर रहे। म ाहूर अर्थ ास्त्री श्री झा 1981-85 में आर्थिक प्र ासनिक सुधार समिति के चेयरमैन रहे तथा 1985-86 में वे प्र ासनिक सुधार के लिए प्रधान मंत्री के सलाहकार बनाए गए। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अहम पदों पर कार्य किया, जैसे 1957-58 में 'गाट' के चेयरमैन, आई0एम0एफ0 के इण्डिपैन्डेंट गवर्नर, 1960-62 में वि व बैंक के आलटरनेट गवर्नर तथा

1977-79 में अन्तर्राष्ट्रीय विकास विशयों पर बने विली ब्रेण्डट कमीशन के सदस्य। निधन के समय वह राज्य सभा के सदस्य तथा आर्थिक दक्षता, उत्पादकता तथा निर्यात आयोग के चेयरमैन थे।

उनके निधन से देश में एक विशिष्ट प्रशासक, मुमताज अर्थशास्त्री व डिप्लोमैट की सेवाओं से महारूम हो गया है।

यह सदन दिवंगत के दुःखी परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

### **श्री हुना मल-संयुक्त पंजाब के भूतपूर्व विधायक**

यह सदन संयुक्त पंजाब के भूतपूर्व विधायक श्री हुना मल के 4 मार्च, 1988 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भावुक प्रकट करता है।

श्री हुना मल का जन्म 4 मार्च, 1922 को हुआ। पेशे से वे एक किसान थे। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के दलितों तथा गरीबों के कल्याण तथा उत्थान में गहरी रुचि ली। उन्होंने बहबलपुर के एक प्राइमरी स्कूल के भवन निर्माण के लिए काफी रकम दान में दी व इसकी मायता स्वरूप उन्हें सरकार की ओर से प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। उन्होंने कई राजीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक सम्मेलनों में भाग लिया। वे 1962 में पंजाब विधान सभा के लिए चुने गए। निधन के समय वह लोक दल हिसार यूनिट के प्रेजीडेंट थे।

उनके निधन से दे । एक तजरूबेकार विधायक व सामाजिक कार्यकर्ता की सेवाओं से महरूम हो गया है ।

यह सदन दिवंगत के दुःखी परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है ।

### श्री सोहन लाल द्विवेदी—राष्ट्र कवि

यह सदन राष्ट्र कवि श्री सोहन लाल द्विवेदी के पहली मार्च, 1988 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है ।

श्री सोहन लाल द्विवेदी का जन्म मार्च 1905 में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में बिंदकी कस्बे में हुआ। उन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय की निगरानी में तालीम हासिल की। वह एम0ए0, एल0एल0बी0 थे तथा उन्हें संस्कृत का अच्छा ज्ञान हासिल था। उन्होंने 16 वर्ष की आयु में ही लेखन कार्य शुरू कर दिया। वे 1936 से 1942 तक लखनऊ से छपने वाले कौमी रोजनामा अधिकार के ऐडीटर रहे। 1942 में छपने वाली उनकी पहली किताब भैरवी कौमी भावना से त्रोटप्रोत थी। उन्होंने सैंकड़ों कविताओं और दोहों वाली 36 से भी अधिक किताबें लिखीं। गांधी जी तथा पंडित मदन मोहन मालवीय के निकट सहयोगी श्री द्विवेदी ने 1944 में गांधी अभिनन्दन ग्रन्थ को ऐडिट किया। उनकी श्रेष्ठकृति जय गांधी 1956 में प्रकाशित हुई। भैरवी, पूजा, गीत, चेतन, बसन्ती उनकी महत्त्वपूर्ण किताबों में से रही है। अपनी उत्कृष्ट कृति पूजा



के स्वर के माध्यम से उन्होंने जनता में नवजागरण की भावना भर दी। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया।

उनके निधन से देश एक महान् हिन्दी कवि व राष्ट्रविद् की सेवाओं से महारूम हो गया है।

यह सदन दिवंगत के दुःखी परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन मैम्बर पार्लियामेंट श्री ए०जी० सुब्रह्मण्य के 7 फरवरी, 1988 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

श्री ए०जी० सुब्रह्मण्य का जन्म 12 जून, 1930 को हुआ। वे 1954 से 1974 तक जिला कांग्रेस समिति, मदुराई के सैक्रेटरी तथा 1974 से 1980 तक इसके सदर रहे। वे 1957-1960 के दौरान नगरपालिका परिषद् के चेयरमैन थे। वे 1974 से तमिलनाडु कांग्रेस कार्यकारी समिति के सदस्य थे। वह 1980 से लोक सभा के सदस्य थे। उन्होंने कई मुल्कों का सफर किया। उन्होंने कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए बहुत कार्य किया।

उनके निधन से देश एक तजुरुबेकार पार्लियामेन्टेरियन की सेवाओं से महारूम हो गया है।

यह सदन दिवंगत के दुःखी परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री फाम हांग, वियतनाम के प्रधान मंत्री, आचार्य बैद्य नाथ भास्त्री, वेदों से प्रसिद्ध विद्वान, श्री जे०सी० अग्रवाल, चण्डीगढ़ के भूतपूर्व मुख्य आयुक्त और 9 मार्च, 1988 को हुई दिल्ली रैली के सम्बन्ध में यात्रा करते हुए भाहीदी प्राप्त व्यक्ति।

यह सदन (i) वियतनाम के प्रधान मंत्री श्री फाम हांग, (ii) वेदों के महार विद्वान आचार्य वैद्य नाथ भास्त्री, तथा (iii) चण्डीगढ़ के साबिका चीफ कमि नर श्री जे०सी० अग्रवाल के दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

(iv) यह सदन 9 मार्च को हुई दिल्ली रैली के सम्बन्ध में यात्रा करते हुए भाहीदी प्राप्त:—

श्रीमती भान्नो, पत्नी श्री तेजा, निवासी राखी भाहपुर,  
जिला हिसार

श्री राम कुमार, वल्द श्री मनी राम, निवासी नलवा,  
जिला हिसार

श्री सतबीर सिंह, निवासी अटवाला, जिला करनाल,

श्री राजेन्द्र सिंह, वल्द श्री गोपी राम, निवासी अटवाला,  
जिला करनाल

श्री गोपी राम, निवासी मलसिसर, राजस्थान

श्री राम चन्द्र, वल्द श्री धन्ना राम, निवासी भोजराज,  
जिला हिसार

श्री चन्दन वल्द श्री केहरी, निवासी अटवाला, जिला  
करनाल

श्री राजेन्द्र, वल्द श्री हरि सिंह, निवासी पोलंगी, जिला  
रोहतक की हुई मृत्यु पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

यह सदन इन स्वर्गवासियों के दुःखी परिवारों के  
सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवदेना प्रकट करता है।

**श्री मंगल सैन (रोहतक):** आदरणीय अध्यक्ष महोदय,  
सदन के नेता ने जो प्रस्ताव सदन में रखा है, मैं उसका समर्थन  
करने के लिए खड़ा हुआ हूं। पिछला सत्र जो दिसम्बर, 1987 में  
हुआ था और यह सत्र जो आज भुरू हो रहा है के बीच में कुछ  
लोग भगवान को प्यारे हो गए हैं। परम्परा के अनुसार उन्हें  
श्रद्धांजलि देने की प्रथा है। स्पीकर साहब, इस प्रस्ताव में सबसे  
पहले एक भुभ नाम सरहदी गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां, भारत  
रत्न का आया हैं। इस महापुरुष की याद आते ही कई बातें मन  
में उठती हैं। हमारे इस बुजुर्ग ने देा की स्वाधीनता के लिए  
कैसा-कैसा बलिदान किया, यह सभी को मालूम हैं। वे उस क्षेत्र  
के रहने वाले थे जहां हर बात बोलने पर गोली चल जाती थी।  
उस माहौल के अन्दर उन्होंने वहां पर अहिंसा का प्रचार किया।  
स्पीकर साहब, मुझे भी कुछ समय के लिए सीमा प्रान्त में रहने का

मौका मिला है। जिस एरिया के खान अब्दुल गफ्फार खां रहने वाले थे उस एरिया में रहने वाले लोगों के स्वभाव के बारे में मेरा कुछ अनुभव है। उन्होंने अपने आन्दोलन के कारण, व्यक्तित्व के कारण वहां की जनता को कैसे पीछे लगाया था, उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने बड़े जहरीले वातावरण में प्रचार किया था। वे वहां की जनता से अछूते नहीं रहे। यह चौधरी देवी लाल जी ने ठीक कहा है कि वे प्रथम पंक्ति के व्यक्ति थे। इनको तो भायद उनके विचार सुनने का किन्हीं सभाओं में अवसर भी मिला होगा हम तो दूसरी पीढ़ी के हैं। हमें उनके विचार सुनने का मौका नहीं मिला। हम तो उनके भुभ नाम से ही और उन द्वारा किए गए कार्यों से ही सुनते हैं कि जहां हमारे पूज्य महात्मा गांधी भारत में विख्यात थे, उसी प्रकार से वे अपने एरिया में सीमान्त गांधी के नाम से जाने जाते थे। वे पाकिस्तान बनाये जाने के घोर विरोधी थे। वे पाकिस्तान के मि० जिन्ना की टू-ने न थ्योरी का हमें विरोध करते रहे थे। एक दफा वे अहमदाबाद में आये थे और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के नेताओं ने उनके साथ ठीक बर्ताव नहीं किया था। उन्होंने बताया था कि कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें भेड़ियों (पाकिस्तान) के सामने छोड़ दिया था। उन्हें सारा जीवन जेल में काटना पड़ा। 15 अगस्त, 1947 को जब लाल किले में दीवाली मनायी जा रही थी उस समय खान साहब अपने घर में निरा और मायूस बैठे हुए थे वहां के नेता तो उस समय प्रधान मंत्री बन गये थे लेकिन वे ऐसे भासक के भासन में रहे जिन्हें सदा दमन ही सहना पड़ा। उन्होंने कितनी ही बार जेल

काटी। वे जेल में बीमार भी हो गये। उस महान आत्मा के सामने हमारा सिर झुकता है। उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, कभी सिद्धान्तों के साथ समझौता नहीं किया। उन्होंने कभी भी यह नहीं सोचा कि मेरे बेटे किसी बड़े पद पर आ जायेंगे। इतने बड़े नेता होते हुए भी वे सच्चे मायनों में देवभक्त थे। उनका नाम शिरोमणि है। वे बीमार हो कर हिन्दोस्तान आये, उनका बम्बई में इलाज हो गया लेकिन जब वे दिल्ली पहुंचे तो पक्षाघात हो गया। उन्हें आल इंडिया मैडिकल इनस्टीच्यूट में ले गये जहां उनका इलाज किया गया। यहां से वे ठीक हो कर चले गये लेकिन वहां जा कर उनका स्वर्गवास हो गया। स्पीकर साहब, उनके जीवन के बारे में जितना भी कहा जाये उतना थोड़ा है। वे सार्वजनिक जीवन के लिए एक आदर्श थे। पब्लिक लाइफ लीड करने वालों के लिए एक आदर्श थे। मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैंने चार विभूतियां पंजाब में देखी हैं, वे बड़ी महान थीं। मास्टर तारा सिंह जिनके साथ मेरा विचारों में बड़ा मतभेद रहा, मौलाना भासानी, स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी और खान बहादुर जी, ये चारों विभूतियों ऐसी थीं जो जनता के लिए जीये और जनता के लए मरे। उन्होंने कोई सम्पत्ति अर्जित नहीं की और क्लीन पब्लिक लाइफ लीड करते रहे। उनका ध्यान जनता ने रखा और जनता का ध्यान उन्होंने रखा। उनके बारे में एक भोर कहना चाहता हूँ:-

सुन रहा था जमाना बड़े भौक से,

वही सो गये दास्तां कहते कहते।

उनके जीवन से लोगों ने प्रेरणा ली थी। उनके जीवन से सरदार भगत सिंह ने, सुखदेव ने और राजगुरु ने प्रेरणा ली थी लेकिन आज के नेता जो उच्च पदों पर विराजमान हैं उनको पता होना चाहिए कि कौन देा के लिए कुर्बानी करने वाले हैं। मुझे माफ करेंगे आज के नेता जो सिंहासन पर बैठे हैं। उनको उन देाभक्तों की कुर्बानियों का पता होना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था। आज भारत के गाढ़े पसीने की कमायी का पैसा स्वीटजरलैन्ड के बैंकों में जा रहा है और रक्षा के लिए खरीदे जा रहे हथियारों में दलाली और सोदेबाजी होती है। जो लोग आज स्वर्ग में हैं उनकी आत्मायें इस बारे में क्या सोचती होंगी ? (विघ्न)

श्री कूर्परी ठाकुर जी बिहार के रहने वाले थे और एक आदर्श, राजनैतिक कार्यकर्ता थे। एक दफा मुझे किसी काम के सिलसिले में पटना जाने का सुअवसर मिला। मैं सुबह-सुबह उनके निवास पर पहुँचा। आगे-आगे वे चल रहे थे और 50-60 आदमी उनके पीछे-पीछे चल रहे थे। अगर कोई आदमी मुख्य मंत्री हो तो उनके पास लोग करवाने के लिए आते हैं, लेकिन उस समय ये विपक्ष में थे, फिर भी 50-60 आदमियों की भीड़ उनसे मिले आई हुई थी, जबकि आम तौर पर होता यही है कि विपक्ष वालों के पास लोग लुक छिप के आते हैं, ऐसा हमारा तजुर्बा है। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि वे कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। स्पीकर साहब, आपको तजुर्बा हो या न हो, मुझे जो थोड़ा बहुत

तजुर्बा है, उसके आधार पर मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा। स्पीकर साहब, मैं उन व्यक्तियों के साथ घर चला गया। घर आकर उन्होंने मुझसे पूछा कि मंगल सैन, आप क्या पियोगे भाई ? मैंने कहा मैं बिना चीनी की चाय पीऊंगा क्योंकि मैं मधुमेह का रोगी हूँ। मैंने उनका घर देखा। स्पीकर साहब, उनका रहन-सहन बड़ा ही सादा था। मेरा ख्याल है, हमारे सचिवालय का एक चतुर्थ श्रेणी का व्यक्ति भी इतना साधारण जीवन व्यतीत नहीं करता होगा जितना मुख्य मंत्री पद पर रहते हुए वे साधारण जीवन व्यतीत करते थे। वे सामजवादी नेता थे और उनका जीवन बड़ा ही प्रेरणादायक था। यह तो प्रभु की लीला है कि एक दिन सबको जाना ही पड़ता है। उनका राष्ट्रीय मंच पर बड़ा ही योगदान था। वे सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी को सेंटर से हटवाने के लिए विपक्षी पार्टियों को एक करने का प्रयास कर रहे थे लेकिन वे अकस्मात् हमारे बीच में से उठ कर चले गए और यह काम अधूरा रह गया। स्पीकर साहब, आदरणीय देवी लाल ने जो प्रस्ताव सदन में रखा है, मैं उसके साथ सहमत हूँ और सदन से प्रार्थना करता हूँ कि उनके भाोक संतप्त परिवार को हमारी ओर से सांत्वना संदे । भेजा जाए।

स्पीकर साहब, बिहार के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री हरिहर प्रसाद सिंह का भी पिछले दिनों देहान्त हो गया। इनके बारे में भी सदन के नेता ने बहुत कुछ कहा है, मैं उनके कथन का अनुमोदन करता हूँ।

हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य तथा मंत्री श्री गोवर्धन दास जी डबलवी के रहने वाले थे। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में साधारण कर्मचारी के रूप में अपना जीवन भुरू किया था। जहां तक मुझे याद है, उन्होंने साधारण कर्मचारी के पद से त्याग पत्र देकर राजनीति में पदार्पण किया था और तीन बार चुनाव लड़ा और मंत्री पद पर आसीन रहे। इनका निधन भी बड़ा दुखप्रद है।

श्री हुना मल संयुक्त पंजाब विधान सभा के सदस्य रहे। उन्होंने चौधरी देवी लाल जी के साथ हरियाणा के पिछड़े हुए इलाकों को विकसित करने के लिए सरदार प्रताप सिंह केरों के साथ टक्कर ली थी। श्री हुना मल को 1962 में कांग्रेस को हरा कर चौधरी देवी लाल जी लाए थे।

स्पीकर साहब, आपको श्री कपूर सिंह जी का तो पता होगा ही। वे पंजाब में मंत्री रहे। वे बड़े ही सादा विचारों के आदमी थी। उन्होंने संसार को काफी देखा-परखा हुआ था। वे अच्छे कामयाब वकील थे और अच्छे विधायक थे।

स्पीकर साहब, इसी प्रकार चौधरी जगत राम, जो पंजाब के भूतपूर्व मंत्री थे, उनका भी निधन हो गया है। सरदार इकबाल सिंह, जो सैन्टर में डिप्टी मिनिस्टर रहे थे और सरदार त्रिलोचन सिंह रियासती जी का भी निधन हो गया है। स्पीकर साहब, मैं सरदार त्रिलोचन सिंह रियासती के बारे में कुछ उल्लेख करना



चाहता हूँ। वे महानुभाव अपनी धुन के बड़े पक्के थे। उस समय के जो भासक थे उन्हें उनकी कोई परवाह नहीं थीं वे सरदार प्रताप सिंह कैरो के साथ डट कर बोलते थे और जो मन में आता था वह कहते थे। मुझे याद है कि ब्लाक समितियों की पररफारमेंस को जानने के बारे में एक इवैलयूए इन कमेटी बनी थी। उस कमेटी में वे भी थे। स्पीकर साहब, इस मसले पर जो उन्होंने अपनी औबजर्वे इन दी थी उसको कोई झूठला नहीं सकता था। बड़ी दुःखदायी स्थिति में उनकी मृत्यु हुई है। वे कार में मृत पाए गए और आज तक पता नहीं चल पाया कि उन्हें कौन मार गया है। एक अखबार में छपा था कि उनकी हत्या में सैन्टर के एक वजीर का हाथ है। मैंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो सी0बी0आई0 से कोई इन्क्वायरी करवाइ जाएगी क्योंकि पंजाब में व्यावहारिक तौर पर सैन्टर का ही राज है। स्पीकर साहब, मुझे बड़ा दुःख है कि ऐसे निर्भीक व्यक्ति की हत्या कर दी गई।

स्पीकर साहब, श्री लक्ष्मी कांत झा जो जम्मू तथा क मीर के गवर्नर रहे और बड़े विख्यात अर्थ भास्त्री थे उनका भी निधन हो गया है। उन्होंने विभिन्न पदों पर भी काम किया हुआ था। परमात्मा की कृति अपनी ही है, जैसे कि मैं पहले निवेदन कर चुका हूँ कि इस संसार में जो आया है उसे एक दिन जाना अव य है।

स्पीकर साहब, पिछले सत्र में हमने श्रद्धांजलि दी थी एक बड़ी महान साहित्यकार श्रीमती महादेवी वर्मा को और अब हम

सोहन लाल द्विवेदी जी को भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं लेकिन उस भगवान के नियम में तो सब बराबर हैं। वे भी इस संसार से विदा हो गए हैं। श्री ए0जी0 सुब्रह्मण की दिल्ली जाते हुए रास्ते में ही मृत्यु हो गई। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने उन लोगों के नाम भी इस भाोक प्रस्ताव में गिनाए हैं जो 9 तारीख की रैली वाले दिन भाहीद हुए थे। 9 तारीख को ऐतिहासिक रैली थी। हम हरियाणा के लिए इन्साफ मांगने गए थे कि एस0वाई0एल0 नहर को जल्दी पूरा किया जाए और सूखे के मामले में हरियाणा के साथ बेइन्साफी न की जाए। हरियाणा के हितों के लिए ही ये लोग हमारे साथ गए थे और भाहीद हो गए, उनको श्रद्धांजलि देना भी वाजिब था।

स्पीकर सर, मैं यहां पर एक और बता कहना चाहता हूं कि होली के दिन बिछुड़े हुए लोग आपस में गले मिलते हैं लेकिन उस दिन ही होि गियारपुर में आंतकवादियों ने एक दो नहीं चालीस आदमियों की हत्या कर दी थी। मेरा यह सुझाव है कि मरने वाले उन निर्दोश लोगों को भी श्रद्धांजलि दे दी जाए। इन भाब्दों के साथ ही मैं इस भाोक प्रस्ताव का समर्थन करते हुए, अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

**चौधरी तैयब हुसैन (तावडू):** मोहतरिम स्पीकर साहब, एक सै ान के बाद जब हम दोबारा यहां मिलते हैं तो कुछ बुजुर्ग और अन्या महान साथी हमारे से बिछड़ जाते हैं और उसके लिए हम यहां विचार करते हैं। आज जो हमारे लीडर आफ दि हाउस ने

रैजोल्यू इन रखा है और जो जजवात उन्होंने जाहिर किए हैं, मैं अपनी पार्टी की तरफ से तथा अपनी तरफ से उनके साथ पूरी तरह से इतफाक करते हुए कहता हूँ कि भगवान मरने वालों की आत्मा को भान्ति बख्भो तथा उनके परिवारों को यह सदमा बर्दा त करने की हिम्मत दे। सबसे पहले मैं भारत रतन खान अब्दुल गफ्फार खां जी के बारे में कहना चाहूंगा। उन्होंने जंगे आजादी में बहुत कुर्बानियां दी। उनके बारे में जितना भी कहा जाए वह कम है क्योंकि अच्छी बातें ऐसी हाती है जो लफजों में अदा नहीं हो सकती। उन्होंने सारी जिन्दी मुल्क की भलाई के लिए काम किया है। उन्होंने हिंसक इलाके में रहते हुए भी अहिंसा का प्रचार किया। इस बारे में सदन के नेता और डा० मंगल सैन जी ने विस्तार से बताया। मैं भी कहे बगैर नहीं रह सकता कि पाकिस्तान जो बना वह ऐसी जगह पर बना जहां लोग नहीं चाहते थे कि बने। लेकिन लोगों की इच्छा के खिलाफ बात हो गई। बहरहाल क्यों बना कैसे बना उसकी तफसील में इस समय हमें जाने की जरूरत नहीं है। सदन के नेता ने भी बताया कि वे पार्टी इन के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने अपनी सारी उमर जेलों में काटी। उनके बारे में जितना कुछ कहा जाए वह कम है। उन्होंने अपने असूलों को हमें कायम रखा और कभी भी असूलों के साथ समझौता नहीं किया। वे किस तरह से सारी उमर लड़ाई लड़ते रहे वह सब के सामने हैं। हमारी तरफ से उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उने दिखाए हुए रास्ते पर चलें। हमारे यहां वे फंटियर गांधी के नाम से मालूम हैं। महात्मा जी के

बाद उन्हीं का नाम आता है। हमारे फरीदाबाद में उनके नाम से एक हस्पताल भी है। मैं मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उस हस्पताल को और सुधारा जाए तथा उसका दर्जा बढ़ाया जाए। ऐसा करने से उनका नाम और अच्छी तरह से रो जान होगा। मेरा अनुरोध है कि उनकी ऐसी यादगार बन जाए जो हमें या हमें या के लिए याद रहे।

स्पीकर साहब, दूसरी रैंफरेंस श्री कर्पूरी ठाकुर जी की है मुझे उनसे बड़ा मुख्तसर सा दो चार दफा मिलने का इत्तफाक हुआ है। जितना वे बेसहारा लोगों के लिये काम करते थे, जितना उनके दिल में बेसहारा लोगों के लिए दर्द था, वह किसी के कहने का मोहताज नहीं है। मैं खुद ता वहां पर नहीं गया था लेकिन मुझे लोगों ने बताया है कि जब उनकी अंत्येष्टि थी, उनका आखिरी संस्कार किया गया तो वहां पर एक समुद्र था। जो लोग भले होते हैं और लोगों की खिदमत करते हैं, उनको जनता भूलती नहीं। मुझे यह बताया गया कि वहां पर बहुत बड़ी भीड़ पटना में इकट्ठी हुई थी। उनके हरेक इतू पर विचार साफ थे। उन्होंने हर एक इतू पर काम किया। उनका नजरिया हरेक इतू पर साफ था। बेसहारा लोगों के लिए, बैकवर्ड क्लासिज के लिए और जिन लोगो की कहीं नहीं सुनी जाती थी, उनके लिये वे आगे आकर काम करते थे। इन सब बातों का आपको पता ही है। बहरहाल उनके जाने से मुल्क को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।

इसी तरह से हमारे बिहार के साबका मुख्य मंत्री श्री हरिहर प्रसाद सिंह भी है। वे जंगे आजादी में बड़े म आगूल रहे। उनका मुल्क की आजादी के लिए भारी योगदान रहा है। सदन के नेता ने उनके बारे में जो कहा है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

चौधरी गोवर्धन दास चौहान कल तक हमारे साथ थे। बहरहाल उनको बीमारी ने हमसे छीना। उन्होंने गरीबों के लिए काम किया। बाल्मीकि सभा के वह प्रैजीडेंट थे। जिस तरह से उन्होंने गरीब लोगों की रहनुमाई की, वह सब हमारे सामने हैं। मैं भी अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से उनक चले जाने से जो मुल्क को और हमारे सूबे को नुकसान हुआ है, उसमें गमे इजहार करता हूं। यह नुकसान भी पूरा नहीं हो पायेगा।

सरदार कपूर सिंह जी ने भी जंगे आजादी में हिस्सा लिया। ज्वायंट पंजाब में वह मिनिस्टर भी रहे। बड़े ही सौफट स्पोकन और बड़ी ही अन-औफैंडिंग लैंग्वेज से बात कहने में वे माहिर थे। बहरहाल, ऐसे लोग एक के बाद एक चले जा रहे हैं, इस बात का मुझे बड़ा दुख है। उन्होंने मुल्क को और सूबे को आगे बढ़ाने के लिए काफी कुछ किया। इसी तरह से चौधरी जगत राम जी हमारे साथ एम0एल0ए0 थे। वे बड़े ही अच्छे आदमी थे। जिस तरह से उनके ऊपर आंतवादियों ने हमला किया, मैं समझता हूं कि उसकी जितनी कंडैमने ान की जाये, जितनी मुज्जमत की जाये, वह कम है। इस तरह से बड़े ही भारीफ और काम से काम रखने वाले आदमी का इस दुनिया से चले जाना बड़े दुख की बात

है। इसी तरह से सरदार इकबाल सिंह, जो मिनिस्टर भी रहे, और मैम्बर पार्लियामेंट भी रहे। वे भी अब हमारे दरम्यान नहीं रहे।

स्पीकर साहब, सरदार त्रिलोचन सिंह रियायती एम०एल०ए० भी रहे, मंत्री भी रहे और एक पत्रकार भी थे। 1947 में भायद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी लेकिन 1962 में वे फिर कांग्रेस टिकट पर चुने गये। यह ठीक बात है कि उनके जो नजरियात थे, जो उनके व्यूज थे, उन पर वह अडिग रहते थे। अपने पक्ष को वे बड़ी संजीदगी से कहते थे। मुझे उनके साथ रहने का इत्तफाक हुआ है। वे भी आज हमारे दरम्यान नहीं रहे।

श्री एल०के०झा० साहब का नाम तो हिन्दुस्तान के माहिराना मा यातों में लिया जाता रहा है। उन्होंने इकौनोमिक फील्ड में आर्थिक क्षेत्र में बड़ा ही योगदान दिया है। जैसे मुख्य मंत्री जी ने कहा, उनके चले जाने से एक बड़ा भारी खला पैदा हो गया है।

श्री हुना मल, ज्वायंट पंजाब में एम०एल०ए० रहे। उनके साथ भी मुझे रहने का इत्तफाक हुआ है। वे भी बड़े भले और सूझ बूझ वाले आमदी थे। इसी तरह से श्री सोहन लाला द्वितेदी जी अब हमारे बीच में नहीं रहे। एक के बाद एक ऐसे लोगों के चले जाने का सिलसिला चला आ रहा है। इसी तरह से मैम्बर पार्लियामेंट श्री ए०जी० सुब्रह्मण भी हमारे बीच से चले गये। जैसे कि मैंने पहले कहा, सदन के उठने के बाद और दोबारा सदन के

मिलने के बीच में एक के बाद एक बड़े लोग हमारे बीच से चले जा रहे हैं।

यहां पर वियतनाम के प्राईम मिनिस्टर का नाम लिया, श्री अग्रवाल साहब का नाम लिया गया और श्री वैद्यनाथ भास्त्री का नाम लिया गया। मैं उनको अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि पे ा करता हूं। 9 तारीख को कुछ लोगों के साथ जो हादसा हुआ उनके दुःख में मैं अपने आपको पूरी तरह से भामिल करता हूं। डा0 साहब ने होली के दिन जो कुछ हुआ उसका जिकर किया। उसके लिए भी मैं अपनी पार्टी की हमदर्दी पे ा करता हूं। स्पीकर साहब, एक बात जरूर है कि कुछ ऐसा इत्तफाक है कि हमारे बुजुर्गों के चले जाने से जो खला पैदा हो रहा है वह पूरा नहीं हो रहा है। यह खला न मुल्क लैवल पर पूरा हो रहा है और न ही सूबे के लेवल पर पूरा हो रहा है। बहरहाल इस खला को कुदरत ही पूरा करेगी। स्पीकर साहब, मैं कहना तो नहीं चाहता था लेकिन यह बात जरूर है कोई भी मौका हो चाहे वह श्रद्धांजलि देने का मौका हो या कोई और मौका हो डा0 मंगल सैन जरूर ही अपनी तरफ से कुछ न कुछ बात कहे बगैर नहीं रहते। क्या करें वे आदत से मजबूर है।

**श्री मंगल सैन:** स्पीकर साहब, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही।

**चौधरी तैयब हुसैन:** चाहे कांग्रेस पार्टी की बात हो और चाहे कुछ और बात हो वे अपनी तरफ से जरूर कहते हैं।

**श्री अध्यक्ष:** आपको बोलने के लिए एक महीना मिलेगा। आप इस समय ऐसी बात न करें। यह उचित नहीं लगता।

**श्री मंगल सैन:** स्पीकर साहब, मैंने किसी का नाम नहीं लिया।

**चौधरी तैयब हुसैन:** स्पीकर साहब, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से इजहारे हमदर्दी और इजहारे अकीदत पे आ करता हूँ और खुदा से दुआ करा हूँ कि पारमानन्दगान को अल्लाहताला सबरे जमीर फरमाएं और उनको वे इस सदमे को बर्दाश्त करने का हौसला और हिम्मत दें।

**उप मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता):** अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता चौधरी देवी लाल ने भाोक प्रस्ताव रखा है और हमारे जो महान नेता तथा बुजुर्ग हमसे बिछुड़ गए उनके प्रति श्रद्धांजलि भेंट की। उसके पचात् डा० मंगल सैन तथा श्री तैयब हुसैन ने अपने विचार और श्रद्धांजलि प्रस्तुत की। इन सब के बोलने के बाद कोई जरूरत नहीं थी कि मैं कुछ कहूँ लेकिन कुछ ऐसी बातें जिनके कारण मुझे बोलने की जरूरत महसूस हुई। पहली बात तो यह है कि सीमान्त गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां इस देश के महान नेता थे और इस देश के ही नहीं बल्कि सारे विश्व के एक नेता थे। वे एक आदर्शवादी और सिद्धान्तवादी थे।



इस देश की आजादी हासिल करने के लिए जितनी कुर्बानियां उनकी थी उनका ब्यान नहीं किया जा सकता। उनके प्रति मेरी अगाध श्रद्धा रही है। मुझे उनके दर्शन करने, उनके विचार सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उच्च विचार और सादा जीवन का जो एक उदाहरण दिया जाता है वे उसकी जीती जागती तस्वीर थे। स्पीकर साहब, इतना महान नेता जो एक अच्छे घराने से ताल्लुक रखता था और जिसको खान बाद शाह के नाम से याद किया जाता था उनका जीवन कितना सादा था इसका आज के युग में कोई व्यक्ति अन्दाजा नहीं लगा सकता। स्पीकर साहब, जब वे पहली बार इलाज के लिए भारतवर्ष आए, आखिरी बार तो वे चल सकते थे लेकिन पहली बार जब वे आए और हवाई जहाज से उतरे तो हमने दूरदर्शन पर देखा कि उनके पास कोई अटैची या बक्सा नहीं था। उन्होंने अपनी सलावार और कुर्ता एक चादर में बांधकर गठरी बनाकर बगल में दबायी हुई थी। वे इतने महान आदमी थे। ऐसे महान आदमी आज दुनियां के तख्ते पर कहीं नहीं मिल सकते। अध्यक्ष महोदय, खान बाद शाह जी एक ऐसे परिवीर, खानदान व इलाके में पैदा हुये थे जिनका कत्ल करना ही परम्परा रही है। अध्यक्ष महोदय, वहां खून का बदला खून से लिया जाता है और यह सिलसिला लम्बा चलता है। खानदान दर खानदान चलता है। ऐसे समाज में, ऐसे कबीले में पैदा होकर भी वे एक कट्टर अहिंसक बने रहे। महात्मा गांधी जी के सिद्धान्तों को उन्होंने अपने जीवन के अन्दर कार्यरूप में अपनाया। अध्यक्ष महोदय, लइस फिगर अमेरिका के एक बड़े महान एवं ख्याति

प्राप्त पत्रकार हुए हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी “गांधी और जिन्नाह”। गांधी जी और जिन्नाह की उन्होंने अपनी पुस्तक में तुलना की है और लिखा है कि जिन्नाह एक ऐसा व्यक्ति था कि साधारण व्यक्ति के अन्दर जो साधारण विचार होते हैं, वह उनको उभारता था और महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे कि जो बदले की भावना प्राकृतिक तौर पर इन्सान के अन्दर है।, उसको बदलता था और उन्होंने इससे ऐसे इन्सान पैदा किये जैसे कि खापन अब्दुल गफ्फार खां। उस पुस्तक में यह मिसाल दी गई कि खान बाद शाह एक ऐसे परिवार में पैदा होते हुए भी महात्मा गांधी जी के कट्टर अनुयायी बने रहे और उन्होंने अहिंसा और भ्रान्ति का व्रत लिया। यह महात्मा गांधी जीकी सर्वोत्तम मिसाल अपनी पुस्तक में उन्होंने दी। उन्होंने आगे लिखा कि बाद शाह खां एक ऐसे महान व्यक्ति थे जो कि जीवन भीर अपने सिद्धान्तों के लिए लड़ते रहे। बाद शाह खां जी ने बहुत कहा, बहुत पुकार की, बहुत प्रयत्न किये कि देश का विभाजन न हो क्योंकि वे जानते थे कि देश के विभाजन की सबसे बड़ी सजा अगर किसी को भुगतनी होगी तो वह खान बाद शाह और उनके साथियों को ही भुगतनी होगी और हुआ भी वही। डाक्टर मंगल सैन जी ने बोलते हुए ठीक ही कहा कि विभाजन के पचात् इधर हमारे यहां नेता खुशियां मना रहे थे और बड़े बड़े औहदों के लिए भापथ ग्रहण कर रहे थे और उधर बाद शाह खां इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब पाकिस्तान की पुलिस आये और उन्हें गिरफ्तार करके जेल के अन्दर ले जाये और हुआ भी वही उसके बाद उनको गिरफ्तार

ककरे जेल के अन्दर डाल दिया गया लेकिन फिर भी उन्हहोंने इस बात की परवाह न की और कितनी ही यातनायें उन्होंने सहन की। अंग्रेज के राज में और पाकिस्तान के अन्दर उन्होंने अपने जीवन मे अने यातानायें सहन की लेकिन वे किंचित मात्र भी अपने पथ से, अपने सिद्धान्तों से और अपने आदर्शों से गिर नहीं विचलित नहीं हुए। ऐसे महान आदमी के निधन पर, जिनका 70 साल का जीवन त्याग और तपस्या का रहा हो, हमें कितना दुःखप हे इस बात का ब्यान नहीं किया जा सकता। चूंकि उनके प्रति श्रद्धांजलि मैंने व्यक्तिगत तौर से व्यक्त करनी थी, इसलिए मैं यहां पर बोलने के लिए खड़ा हुआ। अध्यक्ष महोदय, यह सदन, सारा देश एवं विश्व ही इस दुखित समाचार से दुखी है। डाक्टर साहब ने बोलते हुए ठीक ही कहा कि यह सृष्टि का नियम है कि जो इस संसार में आता है, उसे एक दिन यहां से जाना ही पड़ता है। यही सोचकर हमें सब्र करना पड़ता है, संतोश करना पड़ता है।

इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसे व्यक्ति जिनके साथ मेरा व्यक्तिगत तौर से सम्बन्ध रहा है उनका भी मैं जिकर करूंगा जैसे कि श्री कर्पूरी ठाकुर। वे एक बड़ा ही सादा और सरल जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति थे जिनकी मिसाल नहीं मिलती। उनके बारे में डाक्टर मंगल सैन जी ने ठीक ही कहा कि वे बड़े सुलझे हुए विचारों के व्यक्ति थे, बड़े ही संजीदा व्यक्ति थे। वे उच्च विचारों के व्यक्ति थे। उनके विचार बड़े ही परिपक्व

थे वे हर कठिन से कठिन समस्या के अन्दर रहत हुए भी उसका आसानी से हल निकाल लेते थे। उनका जीवन भी, स्पीकर सर, इतना सादा था कि आप इस बात से अन्दाजा लगा सकते हैं कि इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और इतनी बड़ी पार्टी के नेता व पार्लियामैन्टरी बोर्ड के मैम्बर होते हुये भी वे कभी भी अपने कपड़े प्रेस नहीं करवाते थे। वे कभी भी किसी ऐसी बात की इसके लिए परवाह नहीं करते थे। वे कपड़े किसी दिखावे या भौक के कारण नहीं पहनते थे। केवल तन की रक्षा के लिए, सर्दी और गर्मी से बचाव के लिए वे कपड़े पहनते थे। इसी से आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि वे कितना सादा और सरल जीवन व्यतीत करते थे। इसी कारण से लोगों में उनके प्रति भारी आस्था थी।

अध्यक्ष महोदय, मुझे मुख्यमंत्री महोदय के साथ उनकी अन्त्येष्टि के समय वहां जाने का अवसर मिला। वह दर्दनाक सीन मैंने अपनी आंखों से देखा। वहां जब उनकी भाव यात्रा निकल रही थी, हजारों नर-नारियां उनको देखकर सिसक रही थीं, लोग रो रहे थे। लोगों के मन में इतनी पीड़ा थी जिसका वर्णन करना बड़ा कठिन है। यह सब कुछ उनकी लोगों के प्रति सेवाओं का ही नतीजा था। अध्यक्ष महोदय, आज एक बार यदि कोई आदमी ऐसे ओहदे पर आ जाता है तो उसके पास पक्के मकान हो जाते हैं, कारें हो जाती हैं बड़ी बड़ी कोठियां बन जाती हैं, सब कुछ हो जाता है लेकिन उस व्यक्ति के पास अपना कोई पक्का मकान नहीं

है। आप उनके गांव में जा कर देखें उनकी वही कच्ची झोपड़ी है जिसमें उनके पिता जी आज भी हजामत करने का अपना पैसा कर रहे हैं। उनके निधन से हमें बड़ा नुकसान हुआ है। खास तौर से लोक दल और दूसरी विरोधी पार्टियों को उनके निधन से बड़ा भारी नुकसान हुआ है। इन संकट की घड़ियां में उन्होंने देश के सारे विपक्ष को इकट्ठा करने में जो भूमिका निभाई, मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नजर नहीं आता कि उस भूमिका को बखूबी निभा सके।

चौधरी गोवर्धन दास चौहान भी हमारे साथी रहे हैं। जैसे डा० मंगल सैन जी ने कहा वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सरकारी कर्मचारी थे। जिस समय वे कर्मचारी के रूप में कार्य करते थे उस समय वे काफी समय तक भिवानी में रहे। भिवानी में रहने के कारण उनके साथ मेरा बहुत लम्बा परिचय रहा है। इसके अलावा मैं और वे 1968 में साथ ही चुनाव जीत कर विधान सभा में आए थे। हम दोनों साथ ही मंत्री भी रहे। हम दोनों काफी लम्बे समय तक साथ रहे। वे एक गरीब हरिजन परिवार में पैदा हुए। एक हरिजन परिवार में पैदा हो कर उन्होंने अपने काम से और अपनी मेहनत से जो तरक्की की वह आपके सामने है। उनमें विशेष गुण थे जिसके कारण उन्होंने इतीन तरक्की की। उनके निधन से हमें बहुत दुःख है। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

सरदार कपूर सिंह संयुक्त पंजाब के मंत्री भी रहे हैं। वे बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे। वे 1952 में पंजाब विधान परिषद

के चेयरमैन चुने गए। मुझे उनसे कई बार मिलने का मौका मिला है। वे स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उनके निधन से हमें बहुत दुःख है। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, चौधरी जगत राम एक हरिजन परिवार में पैदा हुए थे। उन्होंने अपने जीवन में दलित लोगों की बड़ी सेवा की। दलित वर्ग के प्रति उनके दिल में बहुत हमदर्दी थी। जिस प्रकार से उनकी हत्या कर दी गई वह बहुत ही निंदनीय है। उनके पगति मैं अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

सरदार इकबाल सिंह पंजाब के रहने वाले थे। उन्होंने भारत छोड़ो आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया तथा जेल गए। वे काफी समय तक लोक सभा के भी सदस्य रहे और केन्द्रीय सरकार में उप-मंत्री भी रहे। वे स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके निधन से हमें बड़ा दुःख है। मैं अपनी ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

सरदार त्रिलोचन सिंह रियासती के साथ तो मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। मुझे वे संघर्ष के दिन याद हैं जब हम रियासत की रजवाड़ा भााही के विरुद्ध पंजाब में लड़ाई लड़ा करते थे। वे एक महान योद्धा थे। हमने पंजाब के अन्दर रियासतों के खिलाफ कंधे से कंधा मिला कर संघर्ष किया। वे बड़े निर्भीक व्यक्ति थे। वे अपनी बात से कभी भी पीछे नहीं हटते थे। उनकी

बड़ी दर्दनाक ढंग से हत्या की गई। हम उस घटना की निन्दा करते हैं। मैं अपनी ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, श्री हुना मल हमारे जिला हिसार के रहने वाले थे। वे सदन के नेता चौधरी देवी लाल जी के साथ मिल कर संयुक्त पंजाब के निर्वाचित हुए थे। उनके बारे में सदन के नेता ने बताया भी है कि उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के दलितों और गरीबों के उत्थान में गहरी रूचि ली। वे समाज सेवी थे। उनके निधन से बड़ा भारी नुकसान हुआ है क्योंकि हमारे से एक अच्छे साथी बिछुड़ गए हैं। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, श्री सोहन लाल द्विवेदी के बारे में डाक्टर मंगल सैन जी ने ठीक कहा कि पिछले अधिवेदन में एक महान कवियत्री महादेवी वर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और इस अधिवेदन में राश्ट्र कवि श्री सोहन लाल द्विवेदी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। श्री सोहन लाल द्विवेदी ने बहुत अच्छे साहित्य सर्जन किए हैं। उन्होंने राश्ट्रीय साहित्य का भी सर्जन किया। वे भी हमारे बीच में नहीं रहे। उनके निधन से देश को बड़ा भारी नुकसान हुआ है। उनके प्रति मैं अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

इसके अलावा सदन के नेता ने जिन महान व्यक्तियों के भोक्त प्रस्ताव रखे हैं मैं अपनी ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, इसी महीने की 9 तारीख को

दिल्ली में आयोजित रैली में हरियाणा के हितों की रक्षा करने के लिए जा रहे जिन नौजवानों ने अपनी कुर्बानी दी है और उनके बारे में मैं तो यह कहूंगा कि जो भाहीद हुए हैं और जिस प्रकार से दुर्घटना से उनकी मृत्यु हुई उससे हमें बड़ा दुःख है। मैं अपनी ओर से उनके प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अन्त में हमारे सदन के नेता ने जितने भी महान व्यक्तियों के भाोक प्रस्ताव रखे हैं, इन भाब्दों के साथ मैं उन सब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

(इस समय बहुत से सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए।)

**चौधरी देवी लाल:** स्पीकर साहब, भाोक प्रस्ताव पर आम तौर पर पार्टीज के नेता ही बोलते रह हैं और यही ठीक रहेगा।

**श्री अध्यक्ष:** ठीक है।

**श्री हरनाम सिंह ( ताहबाद):** आदरणीय स्पीकर साहब, जो भाोक प्रस्ताव मुख्य मंत्री महोदय ने रखा है, उसका मैं अनुमोदन करता हूँ। सरहदी गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां हमारे दे आ की आजादी के महान नेताओं में से एक थे। आजादी दिलाने वाले वे लोग अपने तौर पर हम लोगों के लिए एक मिसाल थे। श्री गफ्फार खां हिन्दू मुसलमान एकता के एक चिन्ह थे। आज उनके चले जाने से दे आ को भारी नुकसान हुआ है। आज हमारे दे आ के अन्दर सिक्ख मुस्लिम और हिन्दू भाइयों की एकता में कुछ बाहरी ताकतें कड़वाहट पैदा करने पर तुली हुई हैं। दे आ के अन्दर इस समय खराब हालत है। सरहदी गांधी का सबक हमें यह



कहता है कि इन फिरका परस्त ताकतों का डट कर मुकाबला करें और अपने देा को कमजोर न होने दें।

स्पीकर साहब, श्री कर्पूरी ठाकुर देा के गरीब लोगों की सेवा करते करते लीडर बने। उनके चले जाने से देा के मजदूरों, किसानों और गरीबों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वे अपोजीान के बड़ लीडरों में से एक थे। आज देा के अन्दर राजनीति में जिन लोगों का कब्जा है, जो लोग देा की एकता और अखंडता को बचा नहीं पा रहे ऐसे समय में उनके चले जाने से देा को बड़ा भारी नुकसान हुआ है।

स्पीकर साहब, श्री हरिहर प्रसाद सिंह, चौधरी गोवर्धन दास चौहान और सरदार कपूर सिंह के चले जाने से भी देा उनकी सेवाओं से वंचित हो गया है। उनके निधन पर भी मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

स्पीकर साहब, जिस प्रकार से चौधरी जगत राम और सरदार त्रिलोचन सिंह की हत्या की गई है वह भी बहुत दुखदाई बात है। उनकी की गई हत्या हमें इस बात की चुनौती देती है कि हम फिरका परस्त ताकतों का डट कर मुकाबल करें। गवर्नर के ऐड्रेस में भी इस बात का जिकर किया गया है कि हरियाणा में ला एण्ड आर्डर का मसला पैदा नहीं होने दिया गया। ये लोग फिरका परस्त ताकतों के साथ लड़ रहे थे। उन्हीं ताकतों के साथ हम आज लड़ रहे हैं। आज हमें उन ताकतों के साथ डट कर लड़ना

है जिनका जिकर गवर्नर ऐड्रैस में भी किया गया है। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से आंतकवादियों ने और फिरका परस्त ताकतों ने उनकी हत्या की है वह हम सब लोगों के लिए एक चुनौती है और इस चुनौती का हम सभी को मुकाबला करना चाहिए। आज पंजाब में जो आग लगी हुई है वह कल को पंजाब से बाहर भी लग सकती है। हमारे यहां पर एक ऐसी ही आग पीछे जुलाई के महीने में एक बार लगी भी थी। इन लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम अपने हरियाणा में ऐसी आग न लगने दें।

स्पीकर साहब, वियतनाम के प्रधानमंत्री श्री फाम हांग के निधन पर भी मुझे बड़ा अफसोस है। वियतनाम का नाम आते ही एरिया के सभी देशों का सिर भान से खड़ा हो जाता है कि किस तरह से उन्होंने फ्रांस को हरकार अपनी आजादी ली और अमरीका दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य है, जो उनके देश को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहता था उसकी फौजी ताकतों को तोड़कर उसे वियतनाम से भागने पर मजबूर कर दिया और अपने देश को आजाद कराया। बाद में जो उनके देश के दो टुकड़े हुए थे उसका भी उन्होंने एकीकरण कराया। ऐसे महान व्यक्ति को भी मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ।

स्पीकर साहब, बहन भान्नों और दूसरे भाई 9 मार्च को हरियाणा के हितों के लिए जो प्रदर्शन दिल्ली में हो रहा था, उसमें भाग लेने और हरियाणा के हितों के लिए आवाज उठाने हेतु

दिल्ली गए थे। उनके निधन पर भी मुझे बड़ा दुःख है क्योंकि वे लोग हरियाणा के हितों के लिए ही भाहीद हुए हैं।

स्पीकर साहब, अन्त में मैं होली वाले दिन पंजाब में होलियारपुर जिले के अन्दर जो कांड हुआ है उस पर कुछ बोलना चाहूंगा। वहां पर होली वाले दिन आंतकवादियों ने आकर लोगों से कहा कि सिख एक तरफ हो जाएं और हिन्दू एक तरफ हो जाए। वहां पर सिखों ने यह बात कही कि हम अलग होने के लिए तैयार नहीं है। उन लोगों ने आंतकवादियों से कहा कि हम अपने भाईयों के साथ ही मरेंगे, वहां पर कुछ लोग हिन्दु सिख एकता के लिए भाहीद हुए हैं, उनका जिकर भी इन भाोक प्रस्तावों में आना चाहिए। इन लफजों के साथ मैं इन महान व बिछुडे हुए बुजुर्गों और साथियों को श्रद्धांजलि देता हूं और अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

**श्री अध्यक्ष:** मैम्बर साहेबान, पौने ती महीने पहले से जान हुआ था। आज हम उन महानुभावों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जो इन पौने तीन महीने में हमें छोड़ कर चले गये। खान अब्दुल गफ्फार खां का यहां पर बहुत जिकर आया है। उनका नाम हमारे पिता जी भी लिया करते थे और हमारे दादा जी भी लिया करते थे। खान अब्दुल गफ्फार खां का हमने देखा नहीं। उनका फोटो हमने अखबारों और टी0वी0 में देखा है लेकिन एक बात सिद्ध है कि खान अब्दुल गफ्फार खां दुनियां में पहले आदमी थे जिन्होंने सबसे ज्यादा जेल काटी थी। वे हर तरह की सरकार में जेल गये।

उन्होंने उस सरकार में भी जेल काटी जो बाहर से आयी थी। उन्होंने उस सरकार में भी जेल काटी जो उनके अपने मुल्क की सरकार थी। वे बड़े ही महान व्यक्ति थे। गुप्ता जी ने उनके बारे में ठीक ही कहा है कि उन्होंने सारी उम्र अपने कपड़े किसी अटैची या ट्रंक में नहीं रखे। आखिर तक उनके कपड़े गठड़ी में ही होते थे। वे गठड़ी कच्छ में ले कर चलते थे। किसी को नहीं दिया करते थे। आज वे हमारे सामने नहीं इसलिए उनके निधन से बड़ा ही दुःख है।

श्री कर्पूरी ठाकुर जी से मुझे मिलने का अवसर मिला था। मैंने उनके भाषण दो जलसों में सुने थे। बहुत लम्बी चौड़ी मीटिंग उनके साथ नहीं हुई थी लेकिन एक बात जरूर है कि वे गरीबों के, डाउन ट्राउन के रहबर थे।

सरदार त्रिलोचन सिंह रियासती के साथ मुझे काफी अर्से तक रहने का मौका मिला। सरदार त्रिलोचन सिंह रियासती और हम सरदार प्रताप सिंह कैरो के खिलाफ इकट्ठी बात किया करते थे। दास कमी उन के वक्त चौधरी देवी लाल तो उनके खिलाफ चलते ही थे लेकिन सरदार त्रिलोचन सिंह जी विद इन पार्टी काम किया करते थे। हमने सरदार त्रिलोचन सिंह के साथ बहुत काम किया था। उनमें जो एक खास बात थी, वह यह थी कि वे बहुत ही निडर थे। वे दिलेरी से बात कहा करते थे। हमें 11 मुंह पर बात कह देते थे। उनके मन में कोई डर नहीं था।

नौ तारीख को हमारे कई सज्जन और बहिनें भाहीद हो गये। वे चूंकि सूबे के हक के लिए भाहीद हुए इसलिए वे बहुत बड़े भाहीद हैं। इन भाब्दों के साथ मैं उन सभी व्यक्तियों को जिनकी यहां चर्चा हुई है, होमेज पे करता हूं और हाउस की डीप सिम्पथीज को ब्रीव्ड फ़ैमिलीज तक पहुंचा दूंगा।

अब मैं हाउस से रिक्वैस्ट करूंगा कि इनन डिपार्टिड लीडर्ज की मैमोरी में खड़े होकर 2 मिनट का मौन धारण करें।

(इस समय दिवगत व्यक्तियों के सम्मान में सदन के सदस्यों ने खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया।)

## घोशणाएं

### (i) पैनल आफ चेयरमैन

**श्री अध्यक्ष:** मैम्बर साहेबान, हरियाणा विधान सभा के रूलज आफ प्रोसीजर एण्ड कंडक्ट आफ बिजनैस के रूल 13(1) के अनुसार मैं फौलोइइंग मैम्बर्ज को पैनल आफ चेयरमैन में काम करने के लिए नोमिनेट करता हूं:—

1. श्री आत्मा राम गोदारा
2. श्री िव प्रसाद
3. राव राम नारयाण
4. चौधरी तैयब हुसैन

## (ii) कमेटी आन पैटी ान्ज

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, हरियाणा विधान सभा के रूल्ज आफ प्रोसीजर एण्ड कंडक्ट आफ बिजनैस के रूल 286(1) के अनुसार मैं फौलोइङ्ग मैम्बर्ज को कमेटी आन पैटी ान्ज में काम करने के लिए नोमिनेट करता हूँ:-

1. श्री कुलबीर सिंह मलिक, उपाध्यक्ष, पदेन सभापति
2. श्री भगवान सहाय रावत
3. श्री आत्मा राम गोदारा
4. श्री दुर्गादत्त अत्री
5. श्री हजार चन्द

## (ख) सचिव द्वारा

राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष: अब सैक्रेटरी साहब अनांउसमैन्ट करेगें।

सचिव: अध्यक्ष महोद, मैं उन विधेयकों को द ार्निने वाला विवरण, जो हरियाणा विधान सभा ने अपने दिसम्बर सत्र, 1987 में पारित किये थे तथा जिन पर राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है, सादर सदन की मेज पर रखता हूँ।

## विवरण

1. पंजाब कृषि उपज-मन्डी (हरियाणा सं गोधन) विधेयक, 1987.
2. हरियाणा सहकारी सोसाइटीज (सं गोधन) विधेयक, 1987.
3. हरियाणा विनियोग (सं 5) विधेयक, 1987.
4. हरियाणा नगरपालिका (सं गोधन) विधेयक, 1987.
5. हरियाणा साधारण विक्रय कर (द्वितीय सं गोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 1987.
6. पंजाब यात्री तथा माल कराधान (हरियाणा सं गोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 1987.
7. हरियाणा विधान सभा (सदस्य सुविधा द्वितीय सं गोधन) विधेयक, 1987.
8. हरियाणा नहर तथा जल निकास (सं गोधन) विधेयक, 1987.

### **बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पे ा करना**

**श्री अध्यक्ष:** अब मैं वेरियस बिजनैस के बारे में बिजनैस एडवाइजरी कमेटी द्वारा फिक्स किया गया टाईम टेबल रिपोर्ट करता हूँ:-

“The Committee met at 11.00 A.M. on Monday, the 14<sup>th</sup> March, 1988, in the Chamber of the Hon’ble Speaker.

The Committee recommends that unless the Speaker otherwise directs the Assembly, whilst in session, shall meet on Monday, at 2.00 P.M., and adjourn at 6.30 A.M. and on Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday at 9.30 A.M. and adjourn at 1.30 P.M. without question being put. However, on Monday, the 28<sup>th</sup> March, 1988 the Assembly shall meet at 9.30 A.M. and adjourn at 1.30 P.M.

The Committee further recommends that on Thursday, the 17<sup>th</sup> March, 1988, Friday, the 18<sup>th</sup> March, 1988 and Friday, the 1<sup>st</sup> April, 1988, there will be no sittings of the Sabha.

The Committee also recommends that on Friday, the 8<sup>th</sup> April, 1988 the Assembly shall meet at 9.30 A.M. and adjourn after the conclusion of the business entered on the list of business for the day.

The Committee, after some discussion, also recommends that the business on 14<sup>th</sup> to 16<sup>th</sup> March, 1988, 21<sup>st</sup> to 25<sup>th</sup> March, 1988, 28<sup>th</sup> to 30<sup>th</sup> March, 1988 and 4<sup>th</sup> to 8<sup>th</sup> April, 1988, be transacted by the Sabha as follows:-

THE HOUSE WILL MEET IMMEDIATELY HALF AN HOUR AFTER THE CONCLUSION OF THE GOVERNOR’S ADDRESS ON THE 14 <sup>TH</sup> MARCH, 1988.	1	Laying a copy of the Governor’s Address on the Table of the House.
--	---	--



	2	Obituary References.
	3	Presentation and adoption of the First Report of the Buiness Advisory Committee.
	4	Papers to be laid/re-laid on the Table of the House.
	5	Presentation of two preliminary Reports of the Committee of Privileges and extension of time for presentation of the final Reports thereon.
Tuesday, the 15 <sup>th</sup> March 1988  (9.30 A.M.)	1	Question Hour.
	2	Presentation of Supplementary Estimates (Second Installment) for the year 1987-88 and the Report of the Estimates Committee thereon.
	3	Discussion on Governor's Address.
Wednesday, the 16 <sup>th</sup> March, 1988.  (9.30 A.M.)	1	Question Hour.

	2	Resumption of discussion on Governor's Address.
Thursday, the 17 <sup>th</sup> March, 1988.	1	No sitting.
Friday, the 18 <sup>th</sup> March, 1988.	1	No sitting.
Saturday, the 19 <sup>th</sup> March, 1988.	1	Off Day.
Sunday, the 20 <sup>th</sup> March, 1988.	1	Holiday.
Monday, the 21 <sup>st</sup> March, 1988.  (2.00 P.M.)	1	Question Hour.
	2	Papers to be laid on the Table of the House, if any.
	3	Leave to introduce and introduction of Government Bills.
	4	Resumption of discussion on Governor's Address and Voting on Motion of Thanks.
Tuesday, the 22 <sup>nd</sup> March, 1988.  (9.30 A.M.)	1	Question Hour.

	2	Presentation of the Budget for the year 1988-89.
Wednesday, the 23 <sup>rd</sup> March, 1988.  (9.30 A.M.)	1	Question Hour.
	2	Discussion and voting on Supplementary Estimates (Second Installment) for the year 1987-88.
Thursday, the 24 <sup>th</sup> March, 1988.  (9.30 A.M.)	1	Question Hour.
	2	Non-Official Business.
Friday, the 25 <sup>th</sup> March, 1988.  (9.30 A.M.)	1	Question Hour.
	2	General discussion on Budget for the year 1988-89.
Saturday, the 26 <sup>th</sup> March, 1988.	1	Off Day.
Sunday, the 27 <sup>th</sup> March, 1988.	1	Holiday.
Monday, the 28 <sup>th</sup> March, 1988.	1	Question Hour.

(9.30 A.M.)		
	2	Resumption of General discussion on Budget for the year 1988-89 and reply by the Finance Minister.
Tuesday, the 29 <sup>th</sup> March, 1988.  (9.30 A.M.)	1	Question Hour.
	2	Presentation of Assembly Committees Reports.
	3	Discussion and Voting on Demands for Grants on the Budget for the year 1988-89.
Wednesday, the 30 <sup>th</sup> March, 1988.  (9.30 A.M.)	1	Question Hour.
	2	Presentation of Assembly Committees Reports.
	3	The Haryana Appropriation Bill, 1988 in respect of Supplementary Estimates (Second Installment) for the year 1987-88.
Thursday, the 31 <sup>st</sup> March,	1	Holiday

1988.  (9.30 A.M.)		
Friday, the 1 <sup>st</sup> April, 1988.  (9.30 A.M.)	1	No Sitting.
Saturday, the 2 <sup>nd</sup> April, 1988.	1	Off Day.
Sunday, the 3 <sup>rd</sup> Arpil, 1988.	1	Holiday
Monday, the 4 <sup>th</sup> April, 1988.  (2.00 P.M.)	1	Question Hour.
	2	Legislative Business.
Tuesday, the 5 <sup>th</sup> April, 1988.  (9.30 A.M.)	1	Question Hour.
	2	Legislative Business.
Wednesday, the 6 <sup>th</sup> April, 1988.  (9.30 A.M.)	1	Question Hour.
	2	Legislative Business.
Thursday, the 7 <sup>th</sup> April, 1988.  (9.30 A.M.)	1	Question Hour.
	2	Non-Official Business.

Friday, the 8 <sup>th</sup> April, 1988. (9.30 A.M.)	1	Question Hour.
	2	Motion under Rule 15 regarding Non-stop sitting.
	3	Motion under Rule 16 regarding adjournment of the Sabha Sine-die.
	4	Legislative Business.
	5	Any other Business.”

अब पार्लियामेंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर प्रस्ताव करेंगे कि यह हाउस बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की फर्स्ट रिपोर्ट में दी गई रिक्मैंडे ान्ज से सहमति प्रकट करता है।

**Irrigation and Power Minister (Sh. Verender Singh):** Sir, I beg to move:-

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

**श्री अध्यक्ष:** प्रस्ताव पे ा हुआ:-

कि यह हाउस बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की फर्स्ट रिपोर्ट में दी गई रिक्मैंडे ांज से सहमति प्रकट करता है।

**श्री अध्यक्ष:** प्र न है:-

कि यह हाउस बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की फर्स्ट रिपोर्ट में दी गई रिपोर्टों से सहमति प्रकट करता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**श्री मंगल सैन:** स्पीकर साहब, मेरी एक सबमिशन है। मैंने एक प्रिविलेज मोशन दिया था।

**श्री अध्यक्ष:** मैंने आपकी मोशन देखी थी। वह मेरे पास पेंडिंग है और मैं उसे स्टडी कर रहा हूँ।

**सदन की मेज पर रखे गये/पुनः रखे गए कागज पत्र**

**श्री अध्यक्ष:** अब मिनिस्टर साहब टेबल आफ दी हाउस पर पेपर ले/री-ले करेंगे।

**Irrigation and Power Minister (Sh. Verender Singh):** Sir, I beg to lay on the Table:-

The Transport Department Notification No. G.S.R. 10/C.A. 4/39/S. III-A/87, dated the 6<sup>th</sup> February, 1987, regarding the Punjab Motor Accident Claims Tribunal (Haryana 5<sup>th</sup> Amendments) Rules, 1986, as required under section 133(3) of the Motor Vehicles Acts, 1939.

The Transport Department Notification No. G.S.R. 60/C.A. 4/39/S. 24/87, dated the 24<sup>th</sup> July, 1987, regarding the Punjab Motor Vehicles (Haryana 4<sup>th</sup> Amendments) Rules, 1986, as required under section 133(3) of the Motor Vehicles Acts, 1939.

The Transport Department Notification No. G.S.R. 87/C.A. 4/39/S. 133/A/87, dated the 16<sup>th</sup> October, 1987, regarding the Punjab Motor Vehicles (Haryana 1<sup>st</sup> Amendments) Rules, 1987, as required under section 133(3) of the Motor Vehicles Acts, 1939.

The Transport Department Notification No. G.S.R. 6/C.A. 4/39/S. 91/88, dated the 15<sup>th</sup> January, 1988, regarding the Punjab Motor Vehicles (Haryana 1<sup>st</sup> Amendments) Rules, 1988, as required under section 133(3) of the Motor Vehicles Acts, 1939.

The General Administration Department Notification No. G.S.R. 9/Const./Art. 320/88, dated the 5<sup>th</sup> February, 1988, regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) First Amendment Regulations, 1988, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The General Administration Department Notification No. G.S.R. 12/Const./Art. 320/Amd. (II)88, dated the 9<sup>th</sup> February, 1988, regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Second Amendment Regulations, 1988, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

Sir, I beg to re-lay on the Table:-

Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 31/H.A. 20/73/S. 64/Amd. (2)87, date the 15<sup>th</sup> April, 1987, regarding the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Rules, 1987, as required under section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.



The General Administration Department Notification No. G.S.R. 17/Const./Art. 318/Amd. (1)/87, dated the 27<sup>th</sup> February, 1987, regarding the Haryana Public Service Commission (Conditions of Service) First Amendment Regulations, 1987, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The General Administration Department Notification No. G.S.R. 33/Const./Art. 320/Amd. (II)/87, dated the 17<sup>th</sup> April, 1987, regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Second Amendment Regulations, 1987, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The General Administration Department Notification No. G.S.R. 47/Const./Art. 320/Amd. (III)/87, dated the 10<sup>th</sup> June, 1987, regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Third Amendment Regulations, 1987, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 82/H.A. 20/73/S. 64/87, dated the 1<sup>st</sup> October, 1987, regarding the Haryana General Sales Tax (Fourth Amendment) Rules, 1987, as required under section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 98/H.A. 20/73/S. 64/87, dated the 24<sup>th</sup> November, 1987, regarding the Haryana General Sales Tax (Fifth Amendment) Rules, 1987, as required under section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The General Administration Department Notification No. G.S.R. 46/Const./Art. 320/Amd. (III)/87, dated the 5<sup>th</sup> June, 1987, regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Third Amendment Regulations, 1987, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The General Administration Department Notification No. G.S.R. 71/Const./Art. 320/Amd. (4)/87, dated the 4<sup>th</sup> September, 1987, regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Third Amendment Regulations, 1987, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The General Administration Department Notification No. G.S.R. 71/Const./Art. 320/Amd. (5)/87, dated the 10<sup>th</sup> September, 1987, regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Third Amendment Regulations, 1987, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

विशेषाधिकार समिति के प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना

(i) श्री हजारी लाल, पुलिस उपाधीक्षक, जींद के विरुद्ध

श्री अध्यक्ष: अब चौधरी आत्मा राम गोदारा एम0एल0ए0, चेयरमन, प्रिविलेजिज कमेटी, 12-9-1987 को श्री हजारी लाल पुलिस उपाधीधक, जींद द्वारा टैलिफोन पर श्री डी0डी0 अत्री, एम0एल0ए0 तथा सदन के विरुद्ध मोस्ट डैरोगेटरी, इंसल्टिंग एंड कंटुम्पचुअस लैंगवेज प्रयोग करने सम्बन्धी अभिकथित

विशेषाधिकार भंग के प्रान के इ लू पर कमेटी की सैकिन्ड प्रिलीमिनरी रिपोर्ट पे ा करेंगे ।

**श्री आत्मा राम गोदारा (चेयरमैन, प्रिविलेजिज कमेटी):**  
अध्यक्ष महोदय, मैं श्री हजारी लाल, पुलिस उपाधीक्षक, जींद के विरुद्ध उन द्वारा 12-9-1987 को टैलीफोन पर श्री डी0डी0 अत्री, एम0एल0ए0 तथा सदन के विरुद्ध अत्याधिक अप्रतिशठाकारी, अपमानपूर्ण तथा तिरस्कार पूर्ण भाशा प्रयोग करने सम्बन्धी अभिकथित विशेषाधिकार भंग के प्रान सम्बन्धी मामले पर विशेषाधिकार समिति का द्वितीय प्रारम्भिक प्रतिवेदन पे ा करता हूँ ।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ:-

कि सदन को अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए ।

**श्री अध्यक्ष:** प्रस्ताव पे ा हुआ:-

कि कमेटी की फाईनल रिपोर्ट प्रेजैन्ट करने के लिए नैक्सट सै ान की फर्स्ट सिंटिंग तक टाईम ऐक्सटैन्ड कर दिया जाए ।

**श्री अध्यक्ष:** प्रान है:-

कि कमेटी की फाईनल रिपोर्ट प्रेजैन्ट करने के लिए नैक्सट सै इन की फर्स्ट सिंटिंग तक टाईम ऐक्सटैन्ड कर दिया जाए।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**(ii) श्री इन्द्र सिंह नैन तथा श्री भले राम, भूतपूर्व एम0एल0ए0 के विरुद्ध**

**श्री अध्यक्ष:** अब चौधरी आत्मा राम गोदारा एम0एल0ए0, चेयरमैन, प्रिविलेजिज कमेटी, श्री इन्द्र सिंह नैन तथा श्री भले राम, भूतपूर्व एम0एल0एज0 के विरुद्ध 21 दिसम्बर, 1987 को सै इन में उपस्थित होने के लिए हरियाणा विधान सभा की ओर आते समय माननीय मुख्य मंत्री तथा सर्वश्री वासुदेव भार्मा, मांगे राम तथा धीरपाल, एम0एल0एज0 को रोकने तथा हाथापाई करने सम्बन्धी अभिकथित वि शेषाधिकार भंग के प्र न सम्बन्धी मामले पर समिति की प्रथम प्रारम्भिक रिपोर्ट प्रैजैन्ट करेंगे।

**श्री आत्मा राम गोदारा (चेयरमैन, प्रिविलेजिज कमेटी):** अध्यक्ष महोदय, मैं श्री इन्द्र सिंह नैन तथा श्री भले राम, भूतपूर्व एम0एल0एज0 के विरुद्ध 21 दिसम्बर, 1987 को सत्र में उपस्थित होने के लिए हरियाणा विधान सभा की ओर आते समय माननीय मुख्य मंत्री तथा सर्वश्री वासुदेव भार्मा, मांगे राम तथा धीरपाल, एम0एल0एज0 को रोकने तथा हाथापाई करने सम्बन्धी अभिकथित

वि शेषाधिकार भंग के प्र न सम्बन्धी मामले पर वि शेषाधिकार समिति का प्रथम प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ:-

कि सदन को अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए।

**श्री अध्यक्ष:** प्रस्ताव पेश हुआ:-

कि कमेटी की फाईनल रिपोर्ट प्रेजेंट करने के लिए मैक्सट से इन की फर्स्ट सिटिंग तक टाईम ऐक्सटैन्ड कर दिया जाए।

**श्री अध्यक्ष:** प्र न है:-

कि कमेटी की फाईनल रिपोर्ट प्रेजेंट करने के लिए मैक्सट से इन की फर्स्ट सिटिंग तक टाईम ऐक्सटैन्ड कर दिया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**श्री अध्यक्ष:** अब हाउस कल प्रातः 9.30 बजे तक के लिए ऐडजर्न किया जाता है।

**17.20 बजे**

(तत्प चात् सदन मंगलवार, 15 मार्च, 1988 को प्रातः  
9.30 बजे तक के लिए स्थगित हुआ।)